खण्ड-296, अंक-8
मंगलवार, 29 चैत्र, शक संवत् 1894
(18 अप्रैल, 1972 ई0)

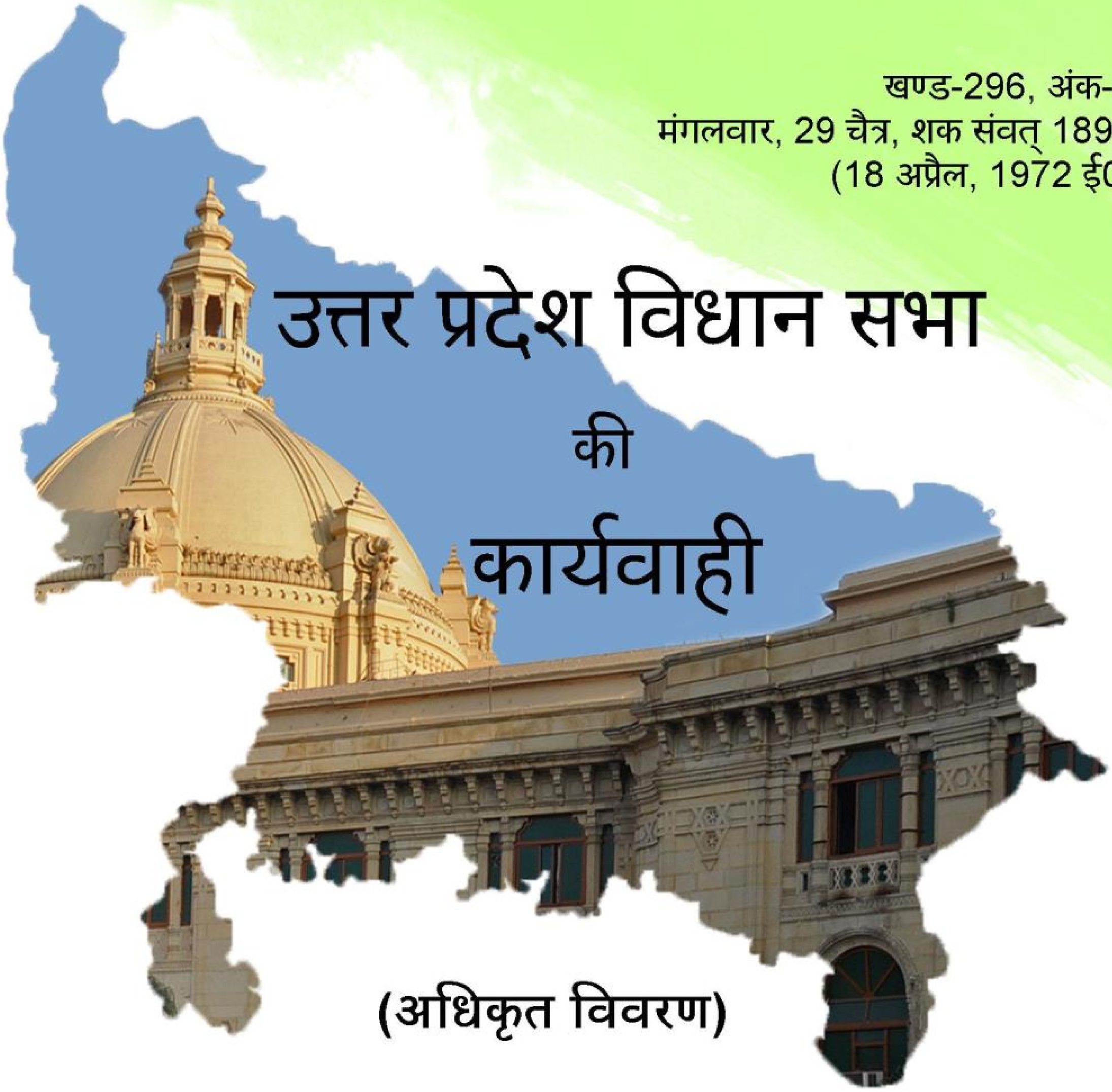

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 296 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1973

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	. 763–767
प्रश्नोत्तर	.. 767–803
विधान सभा सदस्या, श्रीमती सौभाग्यवती तथा भूतपूर्व सदस्य, श्री जगन्नाथ दास के निधन पर शोकोद्गार	.. 803–809
नत्थी	.. 810

उड़ीसा विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, 18 अप्रैल, 1972

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री बासुदेव की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य—366

अजबसिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमर नाथ दूबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कन्हैया लाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री

गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डूंगर सिंह बिष्ट, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह 'कृष्ण', श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीरसिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुउद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भयनारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण द्विवदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद बिशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)

बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माताप्रसाद, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण द्विवेदी, श्री
राम गोपाल संड, श्री
राम चरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरण सिंह, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, डाक्टर
रामदुलारे, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम नगीना मिश्र, श्री
राम निहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
राम बचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)

रामबचन यादव, श्री
(जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम बिलास पांडेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दुबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
रामसेवक, श्री
रामहर्ष मिश्र, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजय पाल सिंह, श्री (जिला गोंडा)
विजय पाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेंद्र कुमार चौधरी, श्री
वीरन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शांती चरण पिड़ारा, श्री
शांति देवी, श्रीमती
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री
(जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
संतोष कुमारी, श्रीमती
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री

सत्तार अहमद अन्सारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिदत्त कांडपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हीरासिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोटः—पंचायत राज मंत्री श्री बलदेवसिंह आर्य, भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 18 अप्रैल, 1972

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश सचिवालय में लिपिकों के पद के लिये लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा

** 1—श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून), श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल), श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया), श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं), श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद), श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़) तथा श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के लिपिक वर्ग के लिये लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में 350 अंक के प्रश्न-पत्र अंग्रेजी के 150 अंक के प्रश्न पत्र हिन्दी के तथा 100 अंक के प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान के होते है और सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र भी अंग्रेजी में आता है? यदि हां, तो क्या हिन्दी को प्रोत्साहन देने के लिये अंग्रेजी के प्रश्न पत्र समाप्त करने पर सरकार विकार करेगी?

नियोजन उपमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा)—

उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायकों के पद के लिये लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में 300 अंक के पर्चे अंग्रेजी के होते है और 200 अंक के पर्चे हिन्दी में होते हैं। इसके अतिरिक्त 100 अंक का सामान्य ज्ञान का पर्चा होता है जिसका उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी में से किसी भी भाषा में दिया जा सकता है। सचिवालय की सेवाओं के लिये

अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों को समाप्त करने के विषय में पृथक रूप से विचार करना समीचीन न होगा, क्योंकि आयोग समस्त परीक्षाओं को दृष्टि में रखते हुये एक समान नीति के अन्तर्गत पाठ्यक्रम निर्धारित करता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या सरकार सिद्धान्तः इससे सहमत है कि अंग्रेजी की अपेक्षा हिन्दी में अधिक अंकों की परीक्षा होना चाहिये ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा--

सरकार बहुत से मामलों में सहमत है और बहुत से मामलों में सहमत नहीं है। एक ओवर आल पालिसी के अन्तर्गत आयोग अपना पाठ्य-क्रम निर्धारित करता है । उसको भी सामने रखना होता है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मैंने तो यह पूछा था कि क्या सरकार इससे सहमत है कि हिन्दी में अंक बढ़ने चाहिये और अंग्रेजी में कम होना चाहिये इसका मंत्री जी निश्चित उत्तर देने की कृपा करें ।

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा--

मैंने तो बहुत साफ उत्तर दिया, सफाई से समझने की कोशिश करें (व्यवधान) मान्यवर, सरकार यह समझती है कि इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है और सरकार इस पर विचार कर रही है लेकिन सरकार को इस संबंध में ओवरआल पालिसी को सामने रख कर विचार करना होगा। हम यह अवश्य समझते हैं कि इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है ।

श्री रामधारी शास्त्री--

जब इस प्रदेश की भाषा हिन्दी है तो क्या कारण है कि परीक्षा में अधिक अंक अंग्रेजी के रखे गये हैं और सामान्य ज्ञान का पर्चा भी अंग्रेजी में ही आता है ? क्या मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि भविष्य में सामान्य ज्ञान का पर्चा हिन्दी में होगा तथा हिन्दी के अंक अंग्रेजी से अधिक रखे जायेंगे ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा--

यहशासन के विचाराधीन है। इस सुझाव पर भी विचार करके फैसला लिया जायेगा।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य--

क्या सरकार यह करने की कृपा करेगी कि अंग्रेजी के अंक कम कर दिये जायं और हिन्दी के बढ़ा दिये जायं ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा--

मैंने तो उत्तर दिया कि सरकार सारे प्रश्नों पर विचार कर रही है ।

श्री रामगोपाल संड--

क्या मंत्री जी को पैता है कि 200 अंक के जो हिन्दी के परचे आते हैं उसमें भी 50 नम्बर का एक ट्रांसलेशन का भी परचा होता है जिसमें 25 नम्बर का अंग्रेजी में हिन्दी से और इसी प्रकार से 25 नम्बर का हिन्दी में अंग्रेजी से अनुवाद करना पड़ता है ? क्या यह सही नहीं है कि इस तरह से 350 नम्बर का पर्चा घुमा फिरा कर अंग्रेजी का है, इसको स्पष्ट करने की कृपा करेंगे ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

जो बात आप कह रहे हैं वह सही है। हिन्दी के परचे में हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी में ट्रांसलेशन है । तो यह सारे प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और इस पर सरकार विचार करेगी ?

श्री जयराम यादव—

शासन को सचिवालय सेवाओं में अंग्रेजी समाप्त करने में यदि कठिनाई है तो क्या राज्य सरकार की सभी सेवाओं से अंग्रेजी हटाने की कृपा वह करेंगे ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

मैं समझता हूं माननीय सदस्य की मंशा यह है कि सभी सेवाओं से अंग्रेजी हटा दी जाये। यह ओवर आलपालिसी का प्रश्न है। जब तक उस पालिसी के संबंध में कोई सोच विचार करके निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक यह संभव नहीं है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में अंग्रेजी का पाठ्य-क्रम है, दूसरी स्टेट्स में भी अंग्रेजी का पाठ्यक्रम है और हमारे यहां भी अभी तक अंग्रेजी का पाठ्य-क्रम है। ओवर आल केंद्र और दूसरे प्रदेशों की पालिसी को सामने रखकर ही हम विचार कर सकते हैं ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

नीति का निर्धारण राज्य सरकार करती है और राज्य लोक सेवा आयोग सरकार की नीतियों के अनुसार अपनी नीति निर्धारित करता है । तो क्या सरकार सम्पूर्ण नौकरियों के लिये ऐसा नियम बनायेगी कि आजादी के 26 वर्ष बाद अंग्रेजी का घटता स्थान हो और हिन्दी का बढता स्थान हो ? यदि यह नीति हो तो अंग्रेजी के अंक यहां पर अवश्य कम क्यों नहीं हो जाने चाहिये ?

मुख्य मंत्री श्री (कमलपति त्रिपाठी)—

इस पर तो हम विचार कर रहे हैं कि जो अंग्रेजी के अंक ज्यादा हैं और हिन्दी के कम हैं उसका क्या किया जाये। लेकिन अंग्रेजी का एक दम से बहिगमन कर नहीं सकते हैं। ऐसा करने से हमारे यहां के विद्यार्थियों का बड़ा अहित हो जायेगा। जब तक सेवा में, सेंटर में और अन्य तमाम प्रदेशों में अंग्रेजी है, तब तक अंग्रेजी के ज्ञान से उनको बंचित कर देना अनुचित होगा। ऐसा करने से किसी सर्विस में वे आ नहीं सकेंगे।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

उत्तर प्रदेश राज्य भाषा अधिनियम, 1952 के अनुसार शासन को अपना समस्त काम हिंदी भाषा में करना चाहिये। तो ऐसा अधिनियम होते हुये भी सरकार अपना काम अंग्रेजी में क्यों कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

हिन्दी में ही शासन का सारा काम हो रहा है ।

श्री ए०सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)—

इस देश में लैंग्वेज के संबंध में एशोसिएटेड व्यवस्था की गई है और उसमें यह है कि जब तक सारे स्टेट्स के लोग हिन्दी न सीख लें और वे डिमाण्ड न करें तब तक हिन्दी और अंग्रेजी साथ साथ चलेंगी। तो फिर अंग्रेजी हटाने की बात क्यों हो रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

केन्द्र में यह व्यवस्था है कि अगर हिन्दी में कोई पत्र जाता है तो अंग्रेजी में भी उसका ट्रांसलेशन करके भेजते हैं। एज ए एसोशिएटेड लैंग्वेज केन्द्र में चल रहा है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

जब इस प्रश्न पर विचार हो रहा है तो क्या सरकार अगले तीन महीने में इस पर अपना अन्तिम निर्णय ले सकेगी, ताकि जो परीक्षा तीन मास पश्चात हो वह नये निर्णय के अनुसार हो ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

माननीय सदस्य बहुत दिनों तक कैबिनेट में भी रह चुके हैं। अवधि निर्धारित करना मुश्किल है। मैं बहुत कृतज्ञ हूं प्रश्नकर्त्ता का। उन्होंने प्रश्न करके उस तरफ हमारा ध्यान दिलाया।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी विश्वास के साथ इस सदन को बताएंगे कि उनकी कबीना और मंत्रिपरिषद् के सदस्य फाइलों में और जो प्रार्थना-पत्र दिये जाते हैं सारे आदेश हिन्दी में ही करते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मेरा खयाल है ऐसा ही होता है। मैं बिल्कुल हिन्दी में काम करता हूं। दूसरों की जो फाइल मेरे पास आती है जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन होने की वहज से उसमें हिन्दी ही देखता हूं। अगर कोई मंत्री जी अंग्रेजी का बहुत शौक रखते हों, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि हिन्दी को ही प्रश्रय दें।

गोंडा जिले के कृषि देय की वसूली करने वाले कर्मचारी

**2--श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

क्या सरकार कृपया यह बतावेगी कि दिनांक 20 मार्च सन् 1972 को जिलाधिकारी, गोण्डा के देय की वसूली करने वाले 117 कर्मचारियों को सेवा से मुक्त हो जाने का आदेश प्रदान किया है ? यदि हां, तो उनकी सेवाओं को समाप्त किये जाने के क्या कारण है ?

कृषि राज्य मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)--

जी हां।

अतिवृष्टि व बाढ़ के कारण कृषि देयों की वसूली स्थगित होने से 61 अमीनों और 56 चपरासियों की सेवायें आवश्यकता न रहने के कारण समाप्त कर दी गई हैं।

श्री त्रिवेणी सहाय--

माननीय मंत्री जी बताएंगे कि अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण जो वसूली रोकी गयी, उसके आदेश गोंडा जिले में कब कब गये ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

पहला आदेश गया था एक तहसील के लिये 25 जनवरी, 1972। फिर 15 फरवरी, 1972 को गया था दो विकास खंडों के लिए।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--

क्या कृषि मंत्री बताएंगे कि कृषि देय का कितना धन बकाया है गत वर्ष और इस वर्ष का और क्या इस बकाया को देखते हुए यह समझते हैं कि छटनी आवश्यक है या नहीं ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

बकाया से सम्बन्धित है ही नहीं ।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)--

वसूली इस समय स्थगित होने के कारण अमीन और चपरासी अलग कर दिये गये हैं । माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि उनकी सेवाएं समाप्त कर रहे हैं और नये आदमियों को भरती कर रहे हैं जब कि माननीय कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया था कि जब वसूली शुरू होगी, जो शुरू हो गयी है, 15 अप्रैल से, तो पुराने आदमियों को निकालकर नये आदमियों को रखने का क्या औचित्य है ? यह प्रश्न गोंडा का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का है । इतनी गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में माननीय राज्य कृषि मंत्री क्या निर्णय ले रहे हैं ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

गोंडा में मान्यवर कभी कोई नयी नियुक्ति नहीं की गयी है ।

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)--

माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इसी तरीके से अमीनों को जिला बस्ती में भी निकाला गया था और उन्हें वापस ले लिया गया ? यदि हां, तो और जिलों में क्यों नहीं वापस ले रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न गोंडा जिले के बारे में है ।

श्री शिवकुमार पांडेय--

ऐसा हर जिले में हुआ है । हर जिले में निकाले गये हैं लेकिन जहां फोर्स पड़ा वहां वापस ले लिये गये, दूसरी जगह सुनवाई नहीं हो रही है । क्या इस प्रकार बस्ती जिले में अमीन वापस लिये गये थे ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

इसमें एक चीज बता दूं, शायद माननीय सदस्य चाहेंगे । पहले अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण वसूली 15 जून तक स्थगित कर दी गयी । बाद में आदेश हुए कि पहली अप्रैल से पहली मई, जिन जिलों में जिस तिथि को कर्ज देय हों, उस तारीख से वसूली प्रारम्भ कर दी जाय । चूंकि काम नहीं था इसलिए कृषि अमीन और चपरासी निकाल दिये गये । लेकिन वसूली शुरू होने वाली है जिन अमीनों और चपरासियों का काम संतोषजनक रहा है, उनको जिलों में रखने का आदेश भेजा जा रहा है ।

श्री जगदम्बा प्रसाद--

जो मैंने प्रश्न किया था उसका जवाब नहीं आया ।

श्री सियाराम (जिला एटा)--

क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि जो 117 कर्मचारियों को निकालने का आदेश गया है, उसमें परिगणित जाति के भी कर्मचारी है ? यदि हां, तो क्या इस नियम का पालन किया गया है जिसमें 18 परसेंट का कोटा परिगणित जाति का पूरा नहीं है ? उसमें यह है कि उस विभाग के परिगणित जाति के कर्मचारियों को न तो निकाला जायगा और न उनकी छटनी की जायगी ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

छटनी में कोटे का विचार नहीं होता

श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर)--

व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री ने उत्तर दिया कि छटनी में 18 परसेंट कोटे पर विचार नहीं होता लेकिन 1964 का जी०ओ० है कि 18 परसेंट कोटा जब तक पूरा न हो जाय तब तक किसी को न निकाला जाय ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

जब वसूली बन्द ही हो गयी तो कुछ जिलों में छटनी की आवश्यकता हुई। यह नीति निर्धारित की गयी थी कि 5 हजार से कम जिनकी वसूली हो उनको नौकरी से निकाल दिया जाय तो उसमें 18 परसेंट वाले भी निकले गये और ये लोग निकाले गये कार्यकुशलता में कमी होने के कारण। जब नई भरती होगी तो उनको पुनः सेवा में लिया जायगा। उस समय यह देखा जायगा कि 18 परसेंट का कोटा पूरा होता है या नहीं होता है और उसको पूरा करने की कोशिश की जायगी।

श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया)--

क्या विभाग से यह परिपत्र गया है कि जो अमीन निकाल दिये गये हैं उनमें केवल बी०एस० सी० (ए० जी०) लिये जायं और जो हाई स्कूल पास लिये जाते थे, वे न लिये जायं ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

चूंकि बी०एस०सी० ज्यादा बेकार हैं इसलिये जहां नई भरती की जाय उनको रोजगार देने के लिये प्राथमिकता देने के लिये संभवतः आदेश गये हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् से यह फैसला हुआ था अन्य मांगों के साथ-साथ कि जो छटनी है वह नहीं की जायगी और यदि कर दी गयी है तो उन्हीं को प्राथमिकता दी जायगी।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

इसे छटनी कहना गलत है। विशेष काम के लिये अस्थायी रूप से कुछ विशेष आदमी रख लिये गये थे। जब काम समाप्त हो गया तो वह आदमी हटा दिये गये। इसे छटनी नहीं कहा जा सकता। बहरहाल यह बात सही है कि जो लोग हटाये गये हैं उनकी ओर से यह मांग है कि उनको फिर काम दिया जाय। कुछ समय के लिये ऐसे लोग रख लिये जाते हैं जो वसूली के काम में मदद करें और जिनको रखा जा सकता है, उनको रख लिया जायगा।

श्री त्रिवेणी सहाय--

जून में वसूली रोक दी गयी थी लेकिन जून से जनवरी तक किसी को नहीं निकाला गया। जनवरी में, फरवरी में आदेश गये लेकिन किसी को तब भी नहीं निकाला गया। मार्च में जब आदेश गये तो 117 आदमियों को निकाला गया। अप्रैल में नई नियुक्ति होने वाली है और जो 117 आदमी निकाले गये हैं उनमें 10, 12 साल तक काम करने वाले आदमी हैं, उनको नई नियुक्ति के आदेश दे दिये जायंगे और उनको नहीं निकाला जायगा ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

जो निकाले गये है उनमें जो कार्यकुशल हैं उनको फिर से नौकरी में रख लिया जायगा।

शाहजहांपुर के नलों में पानी की सप्लाई

**3--श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

क्या सरकार को पता है कि दिनांक 31-3-72 को बिना पूर्व सूचना के शाहजहांपुर नगर में नलों में पानी बन्द हो गया और 72घंटे तक बन्द रहा जिससे अस्पतालों में मरीजों को पानी न मिलने से उनकी दशा गंभीर हो गई और शहर में पानी 40 पैसे गिलास बिक गया ? यदि हां, तो इसके लिये दोषी व्यक्ति को क्या सजा दी गई ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)—

दिनांक 31–3–72 को शाहजहांपुर नगर में विद्युत सप्लाई बंद हो जाने से कारण केवल 10–30 पूर्वान्ह से 1–55 अपरान्ह तक नलों में पानी आना बन्द हो गया था। तत्पश्चात् पानी बराबर आता रहा। नगर में पानी के अभाव की और कोई शिकायत शासन को प्राप्त नहीं हुई।

चूंकि नलों में पानी की सप्लाई बिजली के बंद हो जाने के कारण हुई थी इसलिए जलकल विभाग के किसी कर्मचारी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

बिजली की सप्लाई बन्द हो जाने से पानी की सप्लाई बन्द हो गयी तो क्या भविष्य में बिजली अगर तीन रोज के लिये बन्द हो जाय तो कोई आल्टरनेटिव व्यवस्था सरकार के पास पानी की सप्लाई के लिये है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो नगर से सम्बन्धित सवाल है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

श्रीमन्, मैं यही पूछना चाहता हूं कि जब 4/5 घन्टे तक बिजली बन्द रही तो पानी के लिये क्या आल्टरनेटिव अरेन्जमेंट किये गये ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

मान्यवर, यदि इसी तरह की घटनायें होती रहीं तो अवश्य ही शासन दूसरी व्यवस्था करने पर विचार करेगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि बिजली की आंख मिचौली बराबर होती रहती है और इससे अस्पतालों में बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि वहां पर ऐसी स्थिति पैदा होने पर बिजली का या कोई आल्टरनेटिव एरेजमेंट किया जाय ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

मान्यवर, ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है जिससे अस्पताल के रोगियों को कोई कठिनाई हुई हो।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या सरकार इस विषय पर विचार करेगी कि हर अस्पताल में पानी की व्यवस्था अलग हो?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

मान्यवर, बहुत से अस्पतालों में है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

अमीनों तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सेवा मुक्त करने की नोटिस

*1—श्री राम गोपाल सण्ड —

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने अमीनों तथा बड़ी संख्या में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को सेवा से निकाल देने की 30 अप्रैल, 1972 से नोटिस दिया है ? क्या

इन कर्मचारियों ने कृषि मन्त्री के घर पर 11 अप्रैल से क्रमिक धरना देने की सूचना मन्त्री को दी है ? यदि हां, तो इस के लिए क्या पग उठा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

इन कर्मचारियों को 30 अप्रैल, 1972 से सेवा से हटाये जाने का कोई नोटिस नहीं दिया गया है। अतिवृष्टि तथा असाधारण बाढ़ के कारण कुछ जिलों में कृषि देयों की वसूली स्थगित कर दी गयी थी। अतएव, वहां कुछ अमीनों व उन से सम्बद्ध चपरासियों की सेवाओं की आवश्यकता न रहने के कारण सेवा मुक्त कर दिया गया था।

अब राजस्व विभाग के आदेश दिनांक 22 मार्च, 1972 के अनुसार कृषि देयों की वसूली शीघ्र ही आरम्भ होने वाली है। इस से काफी संख्या में अमीनों व चपरासियों, जिनका कार्य सन्तोषजनक रहा है, को फिर से सेवा में रख लिया जायगा। धरना देने की कोई सूचना नहीं मिली है। अतएव, कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामगोपाल सण्ड--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो उन्होंने बताया कि कुछ जिलों में इस प्रकार के लोग निकाले गये हैं तो कितने ऐसे जिलों से कितने तृतीय और कितने चतुर्थ श्रणी के लोग निकाले गये हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, 775 अमीन और 792 चपरासियों को सेवा से हटाया गया है।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों को हटाया गया है वे कितने वर्षों से कार्य कर रहे थे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, इस समय यह सूचना मेरे पास नहीं है कि कितने दिनों से ये लोग काम कर रहे थे किन्तु उसमें कुछ ऐसा है कि जिनकी वसूली 5 हजार रुपय से कम है और उनका कार्य सन्तोषजनक नहीं है उन्हीं लोगों को हटाया गया है।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

मान्यवर, प्राय: यह देखा गया है कि एक जगह से अमीनों और चपरासियों को निकाल दिया जाता है और उन के स्थान पर फौरन ही नियुक्ति कर ली जाया करती है। तो इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मन्त्री जी इस तरह के आदेश देने की कृपा करेंगे कि अगर पुन: दूसरी नियुक्तियां की जायं तो पुराने कर्मचारियों में से ही की जाया करें यह दूसरी बात है कि उनका कार्य असन्तोषजनक रहा हो ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मान्यवर, नीति यही है कि जो पुनर्नियुक्ति हो उसमें सीजनल काम करने वाले जो लोग होते हैं उन्हीं लोगों को रखा जाय। अब यह दूसरी बात है कि जब कोई निकम्मा और असन्तोषजनक कार्य करने वाला हो तो उसे नहीं रखा जायगा किन्तु साधारणतया उनकी ही नियुक्ति की जाती है।

श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी)--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार से अमीनों और दूसरे सरकारी कर्मचारियों को हटाया जाना उन के वहां के अधिकारियों के विवेक पर निर्भर करता

है ? इस बात को दृष्टि में रखते हुये क्या सरकार उनकी कोई नियमावली बनाने की कृपा करेगी ताकि सरकारी कर्मचारी कुप्रभावित न हो सकें ?

श्री उपाध्यक्ष--

नीति तो उन्होंने बता दी।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)--

क्या कृषि मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो कुर्क अमीन हटाये गये हैं तो क्या उनकी पुरानी सेवा पुनर्नियुक्ति में जोड़ दी जायगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

सीजनल रखे जाते हैं, सीजनल में सर्विस जोड़ने का क्या सवाल है ?

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)--

जो अमीन कम वसूली के कारण हटाये गये उनके साथ चपरासी हटाने का क्या कारण है ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री राज मंगल पांडेय--

5 हजार वसूली की जो लिमिट रखी गयी है, क्या इसका ध्यान किया गया है कि जिन इलाकों में बाढ़ या सूखा या इस किस्म के प्रकोप आया करते हैं वहां भी 5 हजार की लिमिट रखना मुनासिब न होगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

5 साल का ऐवरेज उनके लिए निकाला गया है।

श्री रामगोपाल संड--

अभी-अभी पत्रक निकला था उन्होंने कि 3 या 5 साल से अधिक अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर दिया जायगा तो क्या अमीन और चपरासी भी उसी श्रेणी में आते हैं ? यदि हां, तो 5-10 साल से अगर कार्यरत हैं, 5 हजार रुपये की वसूली कर रहे हैं तो उन्हें स्थायी करने के आदेश देंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

दो तीन तरह की पोस्ट होती हैं। एक टेम्पोरेरी होती हैं, उस पर आदमी टेम्पोरेरी आता है, उसी पर उसका सिलेक्शन होता। बहुत सी स्थायी पोस्ट होती हैं उन पर खाली होने पर अस्थायी रख दिये जाते हैं। उनके लिये यह आदेश हो गया है कि 3 साल हो गये हों तो यह बात साबित हो गयी वहां उनकी जरूरत है, उन्हें स्थायी कर दिया जाय। अस्थायी भी स्थायी किये जाते हैं जब काम बढ़ता है अगर 3-4 साल उनको काम करते हो गये तो कर देते हैं। जहां तक सीजनल का सवाल है उसमें तो वह लागू ही नहीं होता।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

एटा जिले के रिजोर ग्राम में पशु रक्षा केन्द्र भवन

*1--श्री सियाराम--

क्या सामुदायिक विकास मंत्री को ज्ञात है कि जिला एटा के विकास क्षेत्र सर्किट में ग्राम फफोतू में पशु रक्षा केन्द्र बनाने हेतु सभी सुविधाओं के साथ विभागीय स्वीकृति भी थी ? यदि

हां, तो यह पशु रक्षा केन्द्र जो कि अस्थाई रूप से ग्राम फफोतू में 8 वर्ष से चल रहा था, ग्राम फफोतू में न बना कर ग्राम रिजोर में क्यों बनाया गया ?

सामुदायिक विकास राज्य मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)—

जिला एटा के विकास क्षेत्र सकीट के लिये एक पशुरक्षा केन्द्र के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई थी और केन्द्र के स्थान के चयन का अधिकार जिला नियोजन अधिकारी एटा को दिया गया था। ग्राम फफोतू में 8 वर्ष से पशुरक्षा केन्द्र चल रहा था किन्तु निर्माण की अन्य सुविधाओं के होते हुये भवन निर्माण के लिये आवश्यक भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी। अतएव ग्राम रिजोर में भवन निर्माण हेतु भूमि के आसानी से उपलब्ध होने के कारण उक्त भवन निर्माण कार्य फफोतू की अपेक्षा ग्राम रिजौर में सम्पन्न कराना उचित समझा गया।

श्री सियाराम—

मंत्री जी ने दिखाया है कि ग्राम फफोतू में भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी जब कि 8 वर्ष से बिना किसी किराये पर दिये हुये सरकार का पशुरक्षा केन्द्र चल रहा था, तो क्या मंत्री जी मेरी सूचना को सही मान करके कि वहां भूमि पहले से सुरक्षित थी और जानबूझ कर वहां न बना करके रिजौर में बनाया गया है ? तो क्या जांच करायेंगे कि उक्त केन्द्र बिना किसी किराये के चल रहा था ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जिस भवन में पशुरक्षा केन्द्र चल रहा था वह उसका निजी भवन नहीं था, उसकी उपयोगिता की दृष्टि से उसका निजी भवन होना आवश्यक था। उसके लिए जब भूमि प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया तो फफोतू में जो भूमि प्राप्त करन के लिए प्रस्ताव पास किया गया वह हरिजनों के कब्जे में थी और जब उसका प्राप्त करना कठिन हो गया तो विकास क्षेत्र की संस्तुति के अनुसार ग्राम रिजौर में पशु रक्षा केन्द्र का बनाना निश्चय किया गया।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फफोतू और रिजौर के बीच कितना फासला है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मान्यवर, एक ही विकास क्षेत्र में दोनों गांव हैं। मीलों की दूरी जानने के लिये सूचना की आवश्यकता है।

*2—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

जौनपुर जिले के धर्मापुर विकास खंड में सिंचाई यन्त्रों की सप्लाई में गड़बड़ी

*3—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बतायेंगे कि क्या जनवरी, 1972 में शासन को इस आशय की शिकायत मिली है कि सिंचाई यंत्रों की खरीदारी हेतु अपने खेतों को बन्धक रखकर भूमि विकास बैंक शाखा, जौनपुर में किसानों द्वारा लिए गए ऋण का रुपया विकास खंड, धर्मापुर के बी० डी० ओ०, ए० डी० ओ०, कम्पोस्ट ग्राम सेवक, सूर्यनाथ, कलकत्ता मशीनरी स्टोर जौनपुर, के मालिक बाबूराम धोखा देकर निकाल लेते हैं ? यदि हां, तो शिकायतों के अलग-अलग विवरण क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

जी हां। शिकायत यह की गई थी कि विकास खंड, धर्मापुर में सिंचाई यंत्रों की सप्लाई में गड़बड़ी की गई है। शिकायती प्रार्थना-पत्रों की जांच सहायक अभियन्ता (लघु सिंचाई) से कराई गई। जांच रिपोर्ट से विदित हुआ कि कुछ ग्राम सेवकों ने, कास्तकारों के रूप-पत्र 2 पर बिना फर्म से पम्पिंग सेट का सामान काश्तकारों को मिले, असत्य प्रमाण-पत्र दिया, जिसे सहायक विकास अधिकारी (कृषि) तथा कम्पोस्ट ने प्रमाणित किया और खंड विकास अधिकारी ने प्रतिहस्ताक्षरित किया है। इस प्रमाण-पत्र के आधार पर मशीनरी स्टोर, जौनपुर के मालिक बाबूराम ने भूमि विकास बैंक से काश्तकारों के ऋण की धनराशि प्राप्त की और फर्म ने मोटर तथा अन्य सामान बाद में कास्तकारों को सप्लाई किया है। इस प्रकार 5 ग्राम सेवकों, सहायक विकास अधिकारी कृषि, सहायक विकास अधिकारी (कम्पोस्ट) एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा असत्य रूप-पत्र 2 के प्रमाणित करने की बात सिद्ध हुई। सम्बन्धित ग्राम सेवकों तथा सहायक विकास अधिकारी को कड़ी चेतावनी दी गई है और इसका उल्लेख उनकी चरित्र पुस्तिका में किया गया है। खण्ड विकास अधिकारी को भी असत्य रूप पत्र 2 के प्रमाण-पत्र प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिये चेतावनी दी गई है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, मैं आपका ध्यान सवाल की ओर दिलाना चाहता हूं कि"....किसानों द्वारा लिये गये ऋण का रुपया विकास खंड, धर्मापुर के बी० डी० ओ०, ए० डी० ओ०, कम्पोस्ट ग्राम सेवक सूर्यनाथ, कलकत्ता मशीनरी स्टोर, जौनपुर मालिक बाबूराम धोखा देकर निकाल लेते हैं? यदि हां, तो शिकायतों के अलग-अलग विवरण क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई? इसमें विवरण नहीं दिया गया है। आप से प्रार्थना है कि उनसे विवरण दिला दीजिये।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)---

मान्यवर, जिस विवरण की माननीय सदस्य अपेक्षा करते हैं, यदि वे प्रश्न करेंगे तो दे दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष---

पूरा जवाब नहीं है तो आगे चलें।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

इसको स्थगित करा दीजिये।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

माननीय सदस्य को यह उत्तर पहले ही मिल जाना चाहिये था।

श्री बलदेव सिंह आर्य---

मान्यवर, 16 काश्तकारों की शिकायतें हैं कि उनसे प्रपत्र लेकर उस पर बी0 डी0 ओ0, ए0 डी0 ओ0 (पंचायत) और ग्राम सेवक ने संस्तुति करके रुपया फर्म के मालिक को निकालने का मौका दिया और यंत्र बाद में सप्लाई किये गये।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन किसानों ने कब शिकायत की, जांच कब हुई और कलकत्ता मिल स्टोर, जौनपुर के फर्म के मलिक को रुपया कब मिला?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मान्यवर, शिकायत कर्त्ताओं ने अलग अलग प्रार्थना-पत्र अलग अलग तारीखों में दिये हैं। पहला प्रार्थना-पत्र श्री लाजीराम, निवासी ग्राम पचेवरा का जिलाधीश जौनपुर को अप्रैल, 1971 को मिला। दूसरा इन्हीं का आयुक्त कृषि उत्पादन को 9–8–71 को मिला और तीसरा श्री राजाराम, पुत्र बाबूनन्दन केवट, पोस्ट सदर, मुकाम, मानेपुर का प्रार्थना-पत्र 19–1–71 आयुक्त कृषि उत्पादन एवं नाम विकास को प्राप्त हुआ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

कलकत्ता मशीनरी स्टोर के मालिक ने बैंक से रुपया निकाल लिया। इस रुपया निकालने के बाद जब काश्तकारों को मालूम हुआ, तब उन लोगों ने शिकायत की, इसके बाद उनको सामान दिया गया है, क्या सरकार ने इसकी जांच की ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जब रूप पत्र पर संस्तुति कर दी गयी थी, उसके तुरन्त बाद ही बाबूराम, फर्म के मालिक ने उस रुपये को निकाला था।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

बाबूराम ने रुपया निकाल लिया और सामान सप्लाई किया नहीं, इस पर काश्तकारों ने क्या यह शिकायत की कि वह रुपया हजम कर गया है, तब सामान दिया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

रुपया हजम नहीं किया था लेकिन सामान रुपया पाने के कुछ दिनों के बाद दिया था। अगर आप नोटिस देगें तो तिथि भी बता दी जायगी कि सामान कब सप्लाई किया और रुपया कब लिया।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

जो सवाल जायसवाल जी ने रखा है, वैसी ही हालत करीब-करीब हर जिले में है, काश्तकार तबाह हो रहे हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं क्या वे कोई ऐसी जांच कमेटी बैठायेंगे जो इस भूमि विकास बैंक में फैले भ्रष्टाचार के बारे में जांच करके उसका निवारण करे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, अगर इस प्रकार की बात है और माननीय सदस्य हमें लिख कर दें दे तो हम उसकी जांच करा लेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि बाबूराम की फर्म के बारे में मंत्री जी ने यह स्वीकार किया कि उसने धोखा देकर रुपया निकाल लिया तो क्या उसके खिलाफ़ पुलिस में रिपोर्ट करायी गयी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मैंने तो यह निवेदन किया कि रुपया पहले अवश्य निकाल लिया और यन्त्र बाद में सप्लाई किये यह अनियमितता हुई, धोखा नही हुआ। इसमें ग्राम सेवक, सहायक विकास अधिकारी और खन्ड विकास अधिकारी की गलती थी कि उन्होंने पहले से ही रूप-पत्र पर से ही रुपया लेने की संस्तुति कर दी।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)

जैसा कि मंत्रीजी ने कहा उसके अनुसार तो यह टेम्पोरेरी एम्बेजिलमेंट हो गया तो क्या फिर उसके विरुद्ध पुलिस में कोई रिपोर्ट लाज की गयी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मैंने निवेदन किया कि पहले रुपया निकाल लिया और बाद में सामान स'लाई विया गया। लेकिन जब सामान उन लोगों को मिल गया तो फिर केस किस प्रकार से बनेगा।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

यह देखते हुये कि प्रदेश के करीब-करीब हर एक जिले में इस प्रकार की रिंग है और इस रिंग में भूमि विकास बैंक के अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, बी० डी० ओ० शामिल हैं जो इस प्रकार की भ्रष्टाचार की कार्यवाही कर रहे हैं। इस प्रकार की अव्यवस्था को तोड़ने के लिये क्या मंत्री जी कोई व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

माननीय सदस्य को इस बारे में सुझाव देना चाहिये था। अगर वे इस बारे में जांच करवाना चाहते हैं तो जांच की जायगी अगर वे इस व्यवस्था में कोई सुधार चाहते हैं तो भी सरकार उस पर विचार करेगी और इस संबंध में जो उनके सुझाव होंगे वे भी हमारे लिये लाभदायक होंगे।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि लैंड मारगेज बैंक, जौनपुर और मछियाहूं शाखा में भी इस प्रकार की दुर्व्यवस्था है। वहां जो भी पैसा पम्पिंग सेट या ट्रैक्टर के लिये दिया जाता है, वह रुपया किसानों को न देकर दूकानदारों या उनके एजेन्टों को दे देते हैं जिसके कारण काश्तकारों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्या उसके लिये आप कोई इंक्वायरी करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अवश्य इन्क्वायरी करा ली जायगी, वह इसकी सूचना भेज दें, हम व्यवस्था कर रहे हैं कि जो सामान किसानों को दिया जाता है अच्छा हो, वह सारा सामान पी० सी० एफ० खरीद ले और किसानों को वहां से दिया जाय। इस रिंग को तोड़ने की व्यवस्था की जा रही है। इस पर विचार किया जा रहा है और यदि कोई सुझाव इस संबंध माननीय सदस्य दे सकते हैं इसके सुधार के लिये तो वह हमारी सहायता करने की कृपा करें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इसमें साफ-साफ तमाम चीजें आपकी जांच में आ गई हैं। किसानों की बगैर जानकारी के फर्जी प्रमाण-पत्र दे दिये और बाद में सामान दिया गया लेकिन सवाल यह है कि इस मामले में क्या कार्यवाही की गई? और जो सुझाव मुख्य मंत्री जी मांग रहे हैं इस विषय पर पहले चर्चा अनिवार्य हो गई है। यह बताया जाय कि कुल कितने मामले थे और उन में कितनी धनराशि इनवाल्व थी ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

कुल 16 किसानो के मामले थे और उन में 5100 रुपया इनवाल्व था।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री जी भी इस पर सुझाव चाहते हैं और आप ने भी कहा कि इस पर चर्चा का अवसर दिया जाय तो आप लिखकर देंगे तो इस को देख लेंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

वह निश्चित उत्तर दे दें और जो विवरण अलग-अलग शिकायतों का है उसको सदन के पटल पर रख दें ताकि हम जान सकें कि किस तारीख को रुपया निकाला गया कब किसानों ने बाद मे उसके प्रार्थना-पत्र दिये और बाद मे जाकर उसके बाद सामान दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लिखकर देंगे तो दे देंगे ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैंने यह निवेदन किया कि इस जानकारी को मंत्री जी से सदन के पटल पर रखा दें. . .आप

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो मैंने कह दिया कि अगर सूचना उन के पास होगी तो वह रख देंगे आप बहस जब मांगेंगे तो देख लेंगे ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आज शाम तक हम लिखित दे देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपनी प्रार्थना में लिख दें कि आप किन-किन बातों का उत्तर चाहते हैं मैं मुख्य मंत्री जी के पास भेज दूंगा आप को उत्तर मिल जायगा । मैं चर्चा आप के लिखने पर दे दूंगा ।

श्रीमती प्रेम कुमारी शर्मा, भूतपूर्व सहायक विकास अधिकारी, खेरागढ़, जिला आगरा को देय वेतन व मंहगाई भत्ता

*4—श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा, फतेहाबाद)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उनके विभाग की एक भूतपूर्व सहायक विकास अधिकारी (महिला), विकास क्षेत्र खैरागढ़, जिला आगरा, श्रीमती प्रेम कुमारी शर्मा का 16 नवम्बर, 1967 से 5 फरवरी, 1968 तक का नियमानुकूल देय वेतन व मंहगाई भत्ता जो 916 रु० 65 पै० होता है, अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट (नियोजन) आगरा के अनेक बार लिखने के बावजूद अभी तक 4 वर्ष व्यतीत होने पर भी भुगतान क्यों नहीं किया जा सका है ? जब कि उन की सेवा पंजिका में अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट नियोजन ने उपर्युक्त अवधि में उसकी सेवाओं को निरन्तर एवं अविछिन्न स्वीकार करते हुए अंकित किया है ? यदि हां, तो भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

महिला मंगल कार्यक्रम की समाप्ति के फलस्वरूप सभी सहायक विकास अधिकारी, (महिला) एवं ग्राम सेविकाओं के पद 15 नवम्बर, 1967 से समाप्त कर दिये गये हैं । तदनुसार खण्ड विकास अधिकारी, खैरागढ़ ने श्रीमती प्रेम कुमारी शर्मा को 15 नवम्बर, 1967 से कार्यभार से मुक्त कर दिया था । कार्यभार से मुक्त किये जाने के उपरान्त श्रीमती शर्मा की नियुक्ति सहायक अध्यापिका के पद पर हुई । इस की सूचना देते हुये अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट (नियोजन), आगरा ने श्रीमती शर्मा को अपने पत्र दिनांक 5–2–1968 में सूचित कर दिया था कि उन्हें दिनांक 5–2–1968 के मध्यानोपरान्त रिलीव किया जाता है जिस से कि उन को नये नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने में कोई अड़चन न हो । ऐसी स्थिति में यद्यपि श्रीमती शर्मा ने 15 नवम्बर, 1967 से 5 फरवरी, 1968 तक किसी पद पर कार्य नहीं किया था फिर भी अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट (नियोजन), आगरा द्वारा श्रीमती शर्मा को यह सूचित किये जाने के कारण कि उन को 5–2–1968 से रिलीव किया जाता है, उनको उपर्युक्त अवधि के वेतन आदि के भुगतान का विषय शासन के विचाराधीन है ।

श्री हुकुम सिंह परिहार—

माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि इस मामले में विचार चल रहा है । इस विचार को चलते चलते 4 वर्ष से अधिक हो गये हैं । इतने समय तक विचार नहीं हो पाया है । क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कब तक विचार हो जायगा ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जल्दी से जल्दी इस के निपटारे के लिए प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी)—

इस में प्रेम कुमारी शर्मा का ही केस नहीं है बल्कि महिला ए० डी० ओ० जो शिक्षा में कार्य कर रही हैं उन के भी कई मामले पड़े हुये हैं । क्या माननीय मन्त्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि उनकी छानबीन कराकर उनका निराकरण किया जा सके ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां, जितने भी मामले सरकार के विचाराधीन हैं उन सब पर विचार हो रहा है ।

जिला बोर्ड, एटा की जमीन पर लेखपाल का अनधिकृत कब्जा

*5—श्री सतीश चन्द्र शर्मा (जिला एटा) (अनुपस्थित)—

क्या पंचायती राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिले में अलीगंज नगरपालिका में स्थित जिला बोर्ड के प्रायमरी स्कूल में जिला बोर्ड की जमीन एक प्रेम किशोर लेखपाल ने घेर ली है और उसकी शिकायत जिला बोर्ड अध्यक्ष को मिली है ? यदि हां, तो उसके खिलाफ अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां । तहसीलदार, अलीगंज से जांच करानें के उपरान्त अब लेखपाल के विरुद्ध सिविल न्यायालय में कानूनी कार्यवाही की जा रही है ।

जिला परिषद्, बहराइच की सड़कों पर काम करने वाले गैंगों की मजदूरी

*6—श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहारइच) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि जिला परिषद् बहराइच में सड़कों पर काम करने वाले गैंगों में बेलदार तथा मेट को मु० 60 रु० तथा मु० 65 रु० प्रतिमाह क्रमशः दिया जा रहा है जब कि पी० डब्ल्यू० डी० में मु० 96 रु० तथा मु० 110 रु० प्रतिमाह दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस व्यतिक्रम को ठीक कराने की कृपा करेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

क—जिला परिषद्, बहराइच में कुली तथा मेट के पद हैं और उनको क्रमशः प्रति माह 60 रुपया तथा 65 रुपया मजदूरी दी जाती है सार्वजनिक निर्माण विभाग, बहराइच में कथित पदों पर काम करने वाले बेलदार तथा मेट को क्रमशः प्रति माह 72.60 तथा 78.10 रुपया का भुगतान किया जाता है ।

ख—शासन द्वारा नियुक्त वेतन आयोग की संस्तुति प्राप्त होने पर इस विषय में कोई निर्णय लेना सम्भव होगा ।

बरेली जिले की बहगुल नदी का पुल

*7—श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कि बरेली जिले में बहगुल नदी पर जो पुल जिला परिषद् द्वारा सरकारी अनुदान से बनवाया जा रहा था उस में अब तक कितना धन व्यय हो चुका है और उस पुल का बनना क्यों बन्द हो गया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

बरेली जिले में जिला परिषद् द्वारा बहगुल नदी पर सरकारी अनुदान द्वारा मन्डसर व फैजनगर पर दो पुल बनवाये जा रहे हैं । मंडसर के पूल पर अब तक 59,800 रुपया व्यय

किया जा चुका है दिनांक 31-3-71 के बाद कार्य में प्रगति नहीं हुई कारण कि ठेकेदार ने जिला परिषद् से यह मांग की है कि वह सीमेंट व लोहा क्रय करके सप्लाई करे। जिला परिषद् ने ठेकेदार के उक्त कथन को स्वीकार नहीं किया क्योंकि ठेकेदार से इकरारनामे में इस प्रकार की कोई शर्त नहीं है पुल का निर्माण-कार्य बन्द पड़ा है।

फैजनगर पुल का निर्माण-कार्य जारी है। इस कार्य में अब तक कुल 1,60,520 रुपया व्यय हो चुका है। कार्य सम्पादन की तिथि 15-6-72 ठेकेदार को दी जा चुकी है।

ग्राम पचपेड़ा, जिला बरेली में एलोपैथिक चिकित्सालय खोलने की योजना

*8—श्री चेतराम गंगवार—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग द्वारा बरेली जनपद के ग्राम पचपेड़ा तहसील व विकास क्षेत्र, नवाबगंज में कोई ऐलोपैथिक चिकित्सालय खोलने की योजना है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

चिकित्सा राज्य-मन्त्री (श्री प्रेमचन्द्र शर्मा)—

ग्राम पचपेड़ा में अस्पताल स्थापित किये जाने की मांग प्राप्त हुई है। इसी तरह की मांग प्रदेश की अन्य जगहों से आयी हैं। इन सभी पर विचार किया जा रहा है। स्थानों के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय होने पर अस्पतालों की स्थापना का कार्य आरम्भ किया जायगा।

श्री चेतराम गंगवार—

क्या माननीय मन्त्री जी मेरी सूचना को सही मान कर कि इस ग्राम में भवन निःशुल्क रूप से इस संस्था को मिल सकता है, चिकित्सालय खुलवाने के लिए, दूसरे करीब 50 गांव इस के आस-पास हैं और यह दो तरफ से नदियों से घिरा हुआ है तो क्या मन्त्री जी वहां पर चिकित्सालय खुलवाने का आश्वासन देंगे?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

इस के सम्बन्ध में हमने जिले से रिपोर्ट मंगायी थी। रिपोर्ट विकास अधिकारी की यह आयी है कि यह ग्राम रिछोला चौधरी से 4 मील पर है जहां पर अस्पताल है इसलिए विचार नहीं किया गया है। यह रिपोर्ट जिला चिकित्सालय सलाहकार समिति के सामने नहीं रखी गयी थी। अतएव समिति में फिर अस्पताल की स्थापना के लिए शामिल कर लिया जायगा।

श्री चेतराम गंगवार—

मन्त्री जी ने जो कहा, वह ठीक है लेकिन यह गांव पंचपेड़ा नदियों के बीच में पड़ता है। तो यह समझकर कि इसके आस-पास 40 गांव हैं, मन्त्री जी यह आश्वासन देंगे कि वहां पर एक अस्पताल खुलवाने की व्यवस्था अपने विभाग द्वारा करायेंगे?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

जिला स्वास्थ्य कमेटी के आप भी सदस्य हैं, उसमें यदि आप पास करवा दें तो हम भी विचार कर लेंगे।

जिलाधिकारी, गाजीपुर द्वारा नगर क्षेत्र समिति, बहादुरगंज का निरीक्षण

*9—श्री राम सिंह खन्ना (जिला बरेली)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला अधिकारी "गाजीपुर" ने दिनांक 25-2-72 को नगर क्षेत्र समिति, बहादुरगंज का निरीक्षण किया और रुपये सम्बन्धी गड़बड़ी टाउन एरिया के कोष में पायी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां, टाउन एरिया के टैक्स कलेक्टर श्री खालिद हसन खां ने भवन निर्माण की फीस, ठेका, मवेशीखाना, नकल फीस, मुआइना फीस, कीमत टेन्डर फार्म, जमानत तथा हैसियत व जायदाद कर की वसूली का 2,582 रुपया 42 पै० कोषागार में जमा नहीं किया था। उपरोक्त धन दिनांक 2 मार्च, 1972 की चालान संख्या 23 द्वारा कोषागार में जमा करा दिया गया है। टैक्स कलेक्टर को तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जा चुका है और सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही की जा रही है।

श्री रामसिंह खन्ना—

वे कौन-कौन कर्मचारी हैं जिनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है? और बख्शी के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही की गयी है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

टाउन एरिया कमेटी में अधिक कर्मचारी होते नहीं हैं। यह जानकारी प्राप्त की जा रही है इसमें किसका-किसका हाथ था। अगर बख्शी द्वारा गड़बड़ी की गयी है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री गोविन्दसिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

आमतौर से मान्यवर, टाउन एरिया कमेटी की जो शिकायतें आती हैं उनके मूल में बख्शी होता है। तो क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि ऐसी गड़बड़ियां न हों, इसलिए कोई बात पर विचार हो रहा है जिससे उन पर कोई नियंत्रण हो सके ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

श्रीमन्, ऐसा तो कोई विचार नहीं है।

गोरखपुर जिले के बांसगांव स्थित जिला परिषद् का अस्पताल एवं महिला चिकित्सालय की स्थापना

*10—श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत बासगांव में जिला परिषद् के अस्पताल में 1 जनवरी, 1971 से 3 मार्च, 1972 तक कितनी धनराशि की दवायें सप्लाई की गयीं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

प्रश्नगत अवधि में 6,227.64 रु० की दवायें दी गयी हैं।

*11—श्रीमती मसाली देवी (अनुपस्थित)—

क्या सरकार जिला परिषद् के इस अस्पताल को राजकीय संरक्षण में लेने का विचार कर रही है ? अगर नहीं, तो क्यों ? क्या बांसगांव महिला चिकित्सालय की स्थापना का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

स्वास्थ्य सेवा निदेशक से सूचना प्राप्त की जा रही है।

[18 अप्रैल, 1972 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

क्षेत्र समिति, पावा, पौड़ी बीरोखाल, जिला पौड़ी गढ़वाल द्वारा जिला परिषद् को भेजी गयी पेय जल योजनायें

*1—श्री शिवानन्द नौटियाल (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि क्षेत्र समिति पावा पौड़ी बीरोखाल, जिला पौड़ी-गढ़वाल ने सन् 1970 तथा 1 मार्च, 1972 तक किन-किन ग्रामों की पेयजल योजनायें स्वीकार करके किन-किन तिथियों को जिला परिषद् की स्वीकृति के लिये भेजी गई ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

यह सूचना संलग्न तालिका में दी हुयी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 810 पर)

देवरिया जिले के धूपसागर पोखरे में मछली पालने की योजना

*2—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—

क्या पशुपालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम समाज (कुबेर स्थान) कोहर, बलिया वि० क्षेत्र पडरौना, जिला देवरिया में धूपसागर पोखरे की खुदाई करके मछली पालने की कोई योजना बनाई गई थी ? यदि हां, तो उक्त योजना 30 जून, 1970 से 20 जुलाई, 1971 तक कितना व्यय किस मद पर हुआ और अब तक उक्त योजना से कितने रुपये की आमदनी हुई ?

कृषि मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

जी हां, एक मत्स्य बीज प्रक्षेत्र स्थापित करने की योजना थी जो स्थापित कर दिया गया है ।

व्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार है —

	रु०
स्टाफ पर व्यय	1,655.81
आवर्तक व्यय	91.90
योग ..	1,747.71

उक्त योजना से विभाग को 31 मार्च, 1971 तक 2,100 रु० की आमदनी हुई ।

लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये जिला कृषि अधिकारियों की नियुक्ति

*3—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री रामकरन सिंह (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा कितने लोग जिला कृषि अधिकारी के चुनाव में दिनांक 26 सितम्बर, 1970 को चुने गये? उनमें से कितने लोग जिला कृषि अधिकारी के पद पर नियुक्त किये गये, तथा कितने लोग बाकी हैं? तथा उनके नियुक्त न होने का क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम—

पत्र दिनांक 26-9-1970 में लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, ने जिला कृषि अधिकारी के 20 पदों पर नियुक्ति हेतु 'मुख्य सूची' में 20 अभ्यर्थियों के नाम व 'प्रतीक्षा सूची' में 5 अभ्यर्थियों के नाम संस्तुत किये थे। इनमें से 16 अभ्यर्थियों की नियुक्ति जिला कृषि अधिकारी के पदों पर

तथा 4 अभ्यर्थियों की नियुक्ति, जिला कृषि अधिकारी के पद उपलब्ध न होने के कारण, क्लास-II के अन्य समकक्ष पदों पर की जा चुकी है।

अब किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं की जानी है।

पर्वतीय जिलों की पेयजल समस्याओं के समाधान हेतु प्लान

*4—श्री शिवानन्द नौटियाल (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय जिलों की पेयजल समस्याओं का समाधान करने के लिये कितने वर्षों का प्लान सरकार ने तैयार किया है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

पर्वतीय जिलों की पेयजल व्यवस्था के लिये शासन ने अलग से कोई प्लान नहीं तैयार किया है। इन जिलों की पेयजल योजनाओं के लिये प्रति वर्ष अन्य जिलों की पेयजल योजनाओं के साथ-साथ आय-व्ययक में धन का प्राविधान किया जाता है।

जिलाधिकारी, बाराबंकी द्वारा कृषि विभाग के तकावी अमीनों एवं चपरासियों की सेवाओं की समाप्ति

*5—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, बाराबंकी ने अपने आदेश-पत्र 968/स्था0-71-72, दिनांक 22-7-1971 द्वारा बाराबंकी जिला के कृषि विभाग में कार्य करने वाले लगभग 150 तकावी अमीनों एवं उनमें सम्बन्धित चपरासियों को तत्काल सेवा-मुक्त कर दिया है? यदि हां, तो कितने अमीन तथा चपरासी सेवा-मुक्त किये गये हैं तथा सेवा मुक्त करने का कारण क्या था और सेवा-मुक्त करने का आधार क्या रखा गया ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

जिलाधिकारी बाराबंकी ने 65 अस्थायी कृषि तकावी अमीनों एवं 69 अस्थायी चपरासियों की सेवायें समाप्त की हैं। इसके अतिरिक्त 4 कृषि अमीनों को उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया है।

अतिवृष्टि व बाढ़ से कृषि देयों की वसूली स्थगित होने के कारण उपर्युक्त की सेवाओं की आवश्यकता नहीं रह गई थी।

सेवा से मुक्त किये जाने का आधार उनकी औसत वसूलयाबी निर्धारित लक्ष्य से कम होना था।

श्री कल्याण सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी कृपया यह बतायेंगे कि इन लोगों की सेवाओं के समाप्त किये जाने के बाद जो वहां नई नियुक्ति की जायेंगी तो पहले निकाले गये लोगों को नियुक्त देने के संबंध में विचार किया जायेगा ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

मान्यवर, जो नई नियुक्तियां अब की जायेंगी उसमें उन लोगों पर विचार कर लिया जायेगा जिनका काम संतोषजनक होगा।

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, मेरी सूचना को सही मानकर माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो सेवा-मुक्त किये गये थे उनमें बहुतों की कारगुजारी अच्छी थी और कुछ की खराब थी। लेकिन पक्षपात के कारण ऐसे लोग निकाले गये जिनकी कारगुजारी अच्छी थी, तो क्या इस मामले में जांच करायेंगे ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

अगर इस तरह की कोई सूचना दी जायेगी तो जांच अवश्य करा ली जायेगी।

श्री जगदम्बा प्रसाद—

उपाध्यक्ष महोदय, जो सेवा-मुक्त चपरासी हैं वह बाराबंकी जिले में ही नहीं अन्य जिलों में भी है। इस सम्बन्ध में क्या माननीय राज्य कृषि मंत्री ऐसे कोई निश्चित आदेश सरकार की ओर से देंगे जिससे मनमानी न हो सके और मर्जी के मुताबिक न लोग रखे जांय ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

मनमानी करने के आदेश नहीं है, तो दूसरे आदेशों को भेजने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री जगन्नाथ खन्ना—

मान्यवर, जो सरकार का मापदण्ड है उसके अनुसार जिन लोगों ने 5 हजार रुपया वसूल किये होंगे उन्हीं को रखा जायेगा और उन्हीं का काम संतोषजनक माना जायेगा। तो क्या पांच हजार से कम वालों का भी कोई मापदण्ड है, अगर उनका काम संतोषजनक है ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

अब देख लिया जायेगा कि किन किन का काम अच्छा था और उनकी औसत वसूली क्या है ? अगर औसत वसूली अच्छी है तो नौकरी में रख लिया जायेगा।

आगरा मंडल के निलम्बित विकास अधिकारी (कृषि)

*6—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आगरा मण्डल में दिनांक 31-8-1971 तक कौन विकास अधिकारी (कृषि) किस तिथि से निलम्बित चल रहे थे तथा उनके विरुद्ध क्या आरोप है, तथा इन्हें आरोप-पत्र कब तक दे दिये जायेंगे और न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

आगरा मण्डल में दिनांक 31-8-1971 तक निम्नलिखित 2 सहायक विकास अधिकारी (कृषि) उनके नाम के सामने अंकित तिथि से निलम्बित हैं :—

(1) श्री खजान सिंह शर्मा 29-1-1970

(2) श्री नाथू राम मिश्रा 17-9-1969

श्री शर्मा के विरुद्ध स्टाक में गबन का आरोप तथा श्री मिश्रा के विरुद्ध खाद में नमक मिलाने के आरोप हैं। श्री शर्मा को आरोप-पत्र दिया जा चुका है। श्री मिश्रा के विरुद्ध पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी है।

श्री कल्याण सिंह—

क्या मंत्री जी को यह ज्ञात है कि इस प्रकार से निलम्बन के जितने मामले हैं वे 6 महीने में निपटा दिये जाते हैं। श्री खजान सिंह के निलम्बन को 2 वर्ष 11 महीने से ऊपर हो गया है। उनका निर्णय करने में अभी और कितना समय लगेगा?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

उनके मामले में जांच-पड़ताल की गई और उनको चार्जशीट भी दी गई 15-11-1971 को परन्तु अभी तक उन्होंने उसका स्पष्टीकरण नहीं किया है। उन्हीं की तरफ से देर हो रही है। देर तो कर्मचारी की वजह से ही हो रही है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि खजान सिंह शर्मा का जनवरी 1969 में निलम्बन हुआ था उनको चार्जशीट कब दी गई है ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

उनको 16-10-1971 को चार्जशीट दी गई थी।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

सामान्य नियम है कि निलम्बन किये जाने वाले अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही 6 महीने के अन्दर पूरी कर ली जाय। उनको चार्जशीट 1 वर्ष 10 महीने के बाद दी गई। तब तक कार्यवाही पूरी ही नहीं हो पाई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मैं माननीय जायसवाल जी की बात को मानता हूं। ऐसे एक-दो नहीं अनेकों मामले हैं जिनमें कार्यवाही 6 महीने के अन्दर नहीं हो सकी और उनको एक-दो साल भी हो गया है। इस पर आदेश जारी किये गये हैं कि 6 महीने से ऊपर के जितने भी केसेज हैं उनको विभाग दो-तीन महीने के अन्दर ही निपटाये।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कोई निश्चित आदेश देंगे कि दो महीने के अन्दर अथवा जितने भी शीघ्रता के साथ हो सके इस प्रकार के मामले निपटाये जायं। अगर दो-तीन महीने के अन्दर कार्यवाही पूरी नहीं होती है तो फिर आटोमेटिकली उनका रीइन्सस्टेटमेन्ट हो जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

अब इस प्रकार का कोई स्पेसिफिक आर्डर देना मुनासिब नहीं होगा परन्तु कुछ ऐसी व्यवस्था हो रही है कि दो-तीन महीने के अन्दर ही इस प्रकार के मामले निपटा दिये जायं।

श्री कल्याण सिंह--

जैसा कि उत्तर में कहा गया कि खजान सिंह चार्जशीट का उत्तर नहीं दे रहे हैं इसलिये देर हो रही है। श्री खजान सिंह ने जो डाक्यूमेंट्स मांगे थे अपने उत्तर को सबमिट करने के लिये वह उन्होंने विभाग को 9 सितम्बर, 1971 को लिखा था वह उनको अभी तक नहीं दिलवाये गये हैं। अपने प्रार्थना-पत्र में जिन डाक्यूमेंटस को उन्होंने मांगा था वह उनको कब तक दिलवा दिये जायेंगे ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

मान्यवर, इसके बारे में इस समय कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या पत्र लिखा था। इसके लिये समय की आवश्यकता है।

केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त कन्ट्रोलर द्वारा ट्रैक्टरों की परमिट न जारी किया जाना

*7—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1971 में केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त कन्ट्रोलर ने उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम से सम्बन्धित ट्रैक्टरों के परमिट 15 नवम्बर, 1971 तक जारी नहीं किये हैं जिससे निगम की 1.85 करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी फंसी हुई है और वर्कशाप में ट्रैक्टरों का जमाव हो गया है ? यदि हां, तो विलम्ब का कारण क्या है और राज्य सरकार ने उक्त लाइसेन्स प्राप्त करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

1 सितम्बर, 1971 से ट्रैक्टर्स (डिस्ट्रीब्यूशन ऐण्ड सेल्स) कन्ट्रोल आर्डर, 1971 लागू होने से निगम में ट्रैक्टरों के आवंटन के सम्बन्ध में प्रचलित पद्धति बदल गई जिससे उत्पन्न शंकाओं का समाधान भारत सरकार से दिनांक 15 नवम्बर, 1971 तक न होने के कारण निगम के वर्कशाप में लगभग 1.69 करोड़ रुपये के मूल्य के ट्रैक्टरों का जमाव हो गया था। अब शंकाओं का समाधान हो गया है और ट्रैक्टर दिये जा रहे हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आवंटन के सम्बन्ध में जो नई पद्धति है वह क्या है ? वे कौन सी शंकायें हैं जिनके निराकरण के लिये आपको भारत सरकार को लिखना पड़ा था ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

एक हजार रुपया उनको पासबुक में जमा करना पड़ता है। जिनका पहले जमा हो जाता है और जिनका प्रार्थना-पत्र पहले आ गया था उनको पहले दिया जाय। इसमें कुछ शंका हो गई थी कि ट्रैक्टरों का आवंटन किस प्रकार से किया जाय। इसीलिये इसको भारत सरकार को भेजा गया। अगर प्रदेश में कोई कृषि योग्य भूमि है और उसके लिये 31 अगस्त के पहले कोई प्रार्थना-पत्र आ गये तो उनका रीजनवाइज ट्रैक्टरों का आवंटन किया जाय। यह तय किया गया कि जिनका प्रार्थन-पत्र पहले आ जाय उनको पहले ट्रैक्टरों का आवंटन किया जाय।

बेसिक हेल्थ वर्कर्स पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति एवं उनका यात्रा भत्ता

*8—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार के वित्त हस्त पुस्तिका भाग–2 के मूल नियम 22 के खण्ड 2 तथा 4 के अनुसार वर्ष 1971 में बेसिक हेल्थ वर्कर्स पद पर कार्यरत बहुसंख्यक कर्मचारियों को हटाने और उनकी उन्हीं पदों पर पुनर्नियुक्ति करने के पश्चात पूर्व वेतन तथा सेवा-क्रम-बद्धता नहीं दी है ? यदि हां, तो क्यों ? और क्या उनको नियमानुकूल ऐसी सुविधायें और अन्य विभागों की तरह यात्रा भत्ता भी देने का आदेश शीघ्र प्रसारित करेंगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या 7 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम, देहरादून की कालोनी के निवासियों पर सी० पी० टैक्स

*9—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देहरादून जिला परिषद् द्वारा सिफारिश किये जाने पर भी प्रदेश सरकार ने देहरादून स्थिति इन्डियन इन्स्टीट्यूटआफ पेट्रोलियम की कालोनी में निवास करने वाले कर्मचारियों पर सी०पी० टैक्स माफ नहीं किया, जबकि वैसी ही एक कर्मचारी कालोनी आर्डिनेन्स फैक्टरी, रायपुर (जिला देहरादून) के निवासी कर्मचारियों पर यह टैक्स माफ किया जा चुका है, यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी हां। सन् 1944 में ब्रिटिश शासन काल में आर्डिडेन्स फैक्टरी रायपुर के कर्मचारियों को सी0 पी0 टैक्स से मुक्ति प्रदान की गई थी।

अब किसी विशेष वर्ग को सी0 पी0 टैक्स से मुक्ति देना जनहित में ठीक नहीं समझा जाता है।

उत्तर प्रदेश आवास परिषद् में आये प्रतिनियुक्ति कर्मचारी

*10—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश आवास परिषद् में कितने कमचारी प्रतिनियक्ति पर आये हुये हैं और उनमें से कितने दोहरी पदोन्नति प्राप्त कर चुके हैं ? क्या मंत्री यह भी बतायेंगे कि प्रतिनियुक्त पर आये हुए कर्मचारियों में से कितने दोहरा उत्तरदायित्व (डबल ड्यूटी) निभा रहे हैं ? क्या उन सबको एतदर्थ अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् में कुल 81 कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर आये हुए हैं जिनमें 23 अधिकारी भी शामिल हैं। दोहरी पदोन्नति किसी को नहीं दी गई है। इस समय दो कर्मचारी दोहरा उत्तरदायित्व (डबल ड्यटी) निभा रहे हैं। इन दोनों कर्मचारियों को एतदर्थ अतिरिक्त भत्ता दिया जा रहा है।

गोरखपुर जिले के नौतनवा एवं लक्ष्मीपुर क्षेत्रों में राजकीय डिस्पेन्सरी एवं लेडीज हास्पिटल का भवन

*11—श्री रामलगन दूबे (जिला गोरखपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के सर्वाधिक पिछडे विकास क्षेत्र नौतनवा के ग्राम भगवानपुर, बरगदवा बाजार तथा विकास क्षेत्र लक्ष्मीपुर के अड्डा बाजार, भगवानपुर तथा पुरन्द्रपुर और कोल्हुई बाजार में राजकीय डिस्पेन्सरी स्थापित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

कथित ग्रामों में एलोपेथिक अस्पतालों की स्थापना के प्रस्तावों पर विचार किया गया तथा उन्हे अस्वीकार कर दिया गया।

*12—श्री राम लगन दूबे—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि जनपद गोरखपुर के नौतनवा बाजार में स्थानीय व्यवस्था से निर्मित लेडीज हास्पिटल का भवन आदि परिषद् के द्वारा गवर्नमेंट को

हस्तांतरित कर दिया गया है ? यदि हां, तो अब तक इसके संचालन के लिये कौन-कौन सी व्यवस्था की जा चुकी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी नहीं, संचालन की व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता ।

अतिक्रमित मेरठ नगरपालिका में चुनाव एवं घाटे की धनराशि

*13--श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ नगरपालिका कितने समय के लिये भंग की गई थी और क्या सरकार उक्त समय के व्यतीत होते ही मेरठ नगरपालिका के चुनाव कराने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

नगरपालिका मेरठ दिनांक 15 जून 1970 से दो वर्ष के लिये अतिक्रमित की गई थी । अतिक्रमण की अवधि समाप्त होने के बाद यथाशीघ्र निर्वाचित बोर्ड के संगठन हेतु शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

*14--श्री मोहनलाल कपूर--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को ज्ञात है कि इस वर्ष नगरपालिका मेरठ की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो क्या सरकार बतायेगी कि फरवरी, 1972 तक नगरपालिका मेरठ को कितने रुपये का घाटा हुआ है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

वर्ष 1971-72 में नगरपालिका मेरठ की वास्तविक आय की अपेक्षा व्यय कुछ अधिक हुआ जिसका मुख्य कारण नगरपालिका मेरठ के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि तथा अंतरिम सहायता का भुगतान किया जाना है । 29 फरवरी 1972 तक नगर पालिका मेरठ को उसकी आय की अपेक्षा 1,19,869 रुपये अधिक व्यय करने पड़े ।

*15--श्रीमती मसाली देवी--

[7वें मंगलावर के लिये स्थगित]

*16--श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री भाभी यादव--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*17--श्री सूबेदार सिंह--

[स्पष्टीकरण हेतु सहटाया गया ।]

बिजनौर जिले में धामपुर की डिस्पेन्सरी का बड़े अस्पताल में परिवर्तित किया जाना

*18--श्री सत्तार अहमद अंसारी तथा श्री सूबेदार सिंह (जिला बिजनौर)--

क्या सरकार के सामने इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है कि बिजनौर जिले के अन्तर्गत धामपुर में चल रही राजकीय डिस्पेन्सरी को एक बड़े अस्पताल के रूप में परिवर्तित किया जाये ? यदि हां, तो उपरोक्त, प्रस्ताव अब किस स्थिति में है और सरकार कब तक इस प्रस्ताव को कार्यान्वित कर सकेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी नहीं । प्रस्ताव कार्यान्वित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

शाहजहांपुर जिले के प्रधानों के विरुद्ध शिकायतें

*19—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जिले के किन प्रधानों के खिलाफ इख्तियारात के बेजा इस्तेमाल व भ्रष्टाचार की जनता की शिकायतें उनको व जिला मजिस्ट्रेट ,शाहजहांपुर को 1–6–71 से 10–12–71 तक मिली और उन शिकायतों में से कितनी शिकायतों पर जांच की गई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

इस अवधि में शाहजहांपुर जिले की नवादा, इन्देपुर, जमुही, भरेना, नगरिया, लतीफपुर भुन्डा, बाजपुर, कुमरिया, पिंडरिया, बड़ा गांव तथा सहेजना, गांव सभाओंकी 9 प्रधानों के के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। 8 मामलों में अभी भी जांच हो रही है तथा शेष भरेना के गांव सभा के प्रधान के खिलाफ जांच समाप्त हो गई है तथा शिकायत निराधार पायी गई है।

पशुरामपुर ब्लाक बिलरियागंज, जिला आजमगढ़ के पशु डाक्टर के विरुद्ध शिकायती पत्र

*20—श्री दलसिंगार यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के परशुरामपुर ब्लाक बिलरिया गंज के पशु डाक्टर के विरूद्ध वहां की जनता की ओर से 8–3–72 में कोई रजिस्टर्ड प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत हुआ है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां, पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच की जा रही है।

इलाहाबाद जिले के राज्य सहायता प्राप्त होम्योपैथिक चिकित्सालयों को अनुदान

*21—श्री रामगोपाल संड—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राज्य सहायता प्राप्त होम्योपैथिक चिकित्सालयों की संख्या इलाहाबाद जिले में कितनी है और क्या उनका अनुदान समय पर प्राप्त न होकर दो या तीन वर्ष बाद प्राप्त होता है ? यदि हां तो क्या अनुदान समय पर प्रतिवर्ष मिलने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इलाहाबाद जिले में केवल तीन राज्य सहायता प्राप्त होम्योपैथिक चिकित्सालय हैं। इन्हें 1968–69 तक का अनुदान दिया जा चुका है। इस अनुदान की उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने के कारण इन संस्थाओं को उसके बाद अनुदान नहीं दिया गया है।

अनुदान समय पर जब ही मिल सकता है जब पूर्व स्वीकृत अनुदान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय पर प्राप्त हो जाय।

ट्रैक्टर बनाने का कारखाना

*22—श्री रामगोपाल संड—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में ट्रैक्टर का कारखाना बिट्रेन के सहयोग से लगाने पर विचार कर रही है ? यदि हां तो किस स्थान पर और यह कारखाना कितने ट्रैक्टर प्रतिवर्ष बनायेगा ?

डाक्टर सीताराम---

ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।
अन्य प्रश्न नहीं उठते।

डिप्टी डायरेक्टर कृषि भूमि संरक्षण, मिर्जापुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*23श्री रामनिहोर राय (जिला मिर्जापुर)---

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मिर्जापुर के डिप्टी डायरेक्टर कृषि भूमि संरक्षण के खिलाफ ग्राम मतवार बेलाही आदि ग्रामों की जनता द्वारा शिकायती-पत्र दिनांक 10-1-1972 को मिला है? यदि हां, तो उक्त पत्र में क्या शिकायत की गई थी और सरकार ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर सीताराम---

जी हां।

शिकायती-पत्र में एक पूर्व प्रार्थना-पत्र दिनांक 11-12-1971 का हवाला देते हुये निम्नलिखित शिकायतें की गयी थीं:---

(1) मिर्जापुर जिले के हलिया विकास खंड में स्थित मतवार बेलाही, रामपुर, नौडिहा, कुशियरा, मझरावां, नन्दना, परसियां कलां आदि ग्रामों में हो रहे मेड़-बन्दी के कार्य को स्थगित करने के आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया है।

(2) उप निदेशक, भूमि संरक्षण, मिर्जापुर द्वारा कृषकों को धमकी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि धन देने पर भूमि संरक्षण का कार्य स्थगित कर दिया जायगा और धन न देने पर मुकदमा चला कर बन्द कर दिया जायगा।

2---भूमि संरक्षण कार्यों के विरोध के फलस्वरूप, उप इकाई मतवार में भूमि संरक्षण कार्य स्थगित कर दिया गया है।

3---उप निदेशक, भूमि संरक्षण, के विरुद्ध लगाये गये आरोपों पर जांच जारी है।

गोरखपुर जिले की सरैया सरदारनगर शुगर मिल क्षेत्र में गन्ना विकास समिति द्वारा पुल पुलिया बनवाने का प्रस्ताव

*24---श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)---

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की सरैया-सरदार नगर, शुगर मिल की एरिया में गन्ना विकास समिति की ओर से कौन-कौन सड़कें, पुल-पुलिया आदि बनवाने का प्रस्ताव सन 1970 से 1972 के 20 मार्च के अन्दर किया है? इसमें से कौन कौन सड़कें एवं पुल वर्ष 1972-73 में बन कर तैयार हो जायगी?

डाक्टर सीताराम---

जनपद गोरखपुर की सरैया-सरदारनगर चीनी मिल के क्षेत्र में गन्ना विकास समिति सरदार-नगर ने 1970 से 20 मार्च, 1972 तक की अवधि में सड़क एवं पुल-पुलिया आदि बनवाने का कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया। अतः वर्ष 1972-73 में सरदार नगर गन्ना समिति के द्वारा सड़क एवं पुल-पुलिया बन कर तैयार हो जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बरेली जिले में बीमारी के कारण मरे पशु

*25---श्री चेतराम गंगवार---

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जुलाई, 1971 से 31 दिसम्बर, 1971 तक जिला बरेली में कुल कितने पशु बीमारी के कारण मरे तथा उनकी जाति वार संख्या कितनी

है? क्या यह सही है कि अधिकांश पशु उचित चिकित्सा न होने के कारण मर गये? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की?

डाक्टर सीताराम—

68 ब्लाकवार विवरण निम्न प्रकार है—

ब्लाक का नाम	पशुओं की संख्या
1—नवाबगंज	18
2—मभौरा	/
3—शेरगढ़	13
4—बहेड़ी	3
5—फतेहगंज (पश्चिमी)	9
6—भौजीपुरा	7
7—रामनगर	6
8—फरीदपुर	5
योग ..	68

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय पशु चिकित्सालय सदर, जिला बरेली के कम्पाउन्डरों के विरुद्ध शिकायतें

*26—श्री चेतराम गंगवार—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पशुपालन उप-निदेशक श्री भटनागर, बरेली के कार्यालय में जनवरी-फरवरी, 1972 में जिला बरेली के पत्रकार श्री रामदयाल भार्गव, सम्पादक "बरेली समाचार" व जगदीश विकट सम्पादक "चित्रांकन" के शिकायती पत्र रिश्वत के सम्बन्ध में राजकीय पशु चिकित्सालय सदर, जिला बरेली के कम्पाउन्डरों के विरुद्ध प्राप्त हुए हैं। यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की?

डाक्टर सीताराम—

जी हां, केवल श्री राम दयाल भार्गव का पत्र प्राप्त हुआ है। कम्पाउन्डर के विरुद्ध शिकायत की जांच के लिये एक कमेटी संगठित की गई है जिसमें प्रयोजन अधिकारी (कुक्कुट) व कृत्रिम गर्भाधान अधिकारी, बरेली सम्मिलित हैं।

जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।

प्रतापगढ़ जिले के गौरा ब्लाक में पम्पिंग सेट के तकावी ऋण के धनराशि का गबन

*27—श्री रामदेव दूबे (जिला प्रतापगढ़) तथा श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रतापगढ़ जिलान्तर्गत गौरा ब्लाक में 7 मार्च, 1968 को झुरई कुर्मी, आत्मज दसई कुर्मी तथा बद्री प्रसाद तिवारी ने पंपिंग सेट की तकावी लेने की कार्यवाही कीया था और ब्लाक के कर्मचारियों ने कार्यवाही पूरी करके

तकावी की धनराशि स्वयं निकालकर गबन कर लिया ? यदि हां, तो आज तक उसमें क्या कार्यवाही की गई। गबन का आरोप किन-किन कर्मचारियों पर आयत हुआ और उनके विरुद्ध प्रशासन ने क्या कार्यवाही किया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

प्रतापगढ़ जिले के गौरा ब्लाक में 7 मार्च, 1968 को झुरई कुर्मी आत्मज श्री दसई कुर्मी तथा बद्री प्रसाद तिवारी को पंपिंग सेट की तकावी हेतु चार-चार हजार रुपये का ऋण दिया गया था ऋण का पूरा धन उचित कार्यवाही के बाद ऋण ग्रहिताओं को भुगतान कर दिया गया था। ब्लाक के कर्मचारियों द्वारा तकावी की धनराशि के गबन का प्रश्न नहीं उठता। साथ ही उनके विरुद्ध कार्यवाही करने अथवा उन पर आरोप लगाने का भी प्रश्न नहीं उठता।

*28--श्री इन्द्रलाल--

[7वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*29--श्री मंजूर अहमद--

[7वें मंगलवार के लिये स्थगित]

मुख्यावास नगर, जिला प्रतापगढ़ को टाउन एरिया बनाने का प्रस्ताव

*30--श्री जयराम यादव--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को जानकारी है कि जनपद प्रतापगढ़ की तहसील कुन्डा के मुख्यावास नगर को टाउन एरिया बनाने का प्रश्न पिछले 4-5 वर्षों से शासन के विचाराधीन है ? टाउन एरिया घोषित करने में क्या कठिनाई है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

गांव कुन्डा में टाउन एरिया बनाने का प्रस्ताव 22-4-1971 को अस्वीकार कर दिया गया था परन्तु यह प्रस्ताव अब फिर शासन के विचाराधीन है।

गाजियाबाद मस्टर प्लान की सीमा का विस्तार

*31--श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतायेंगे कि गाजियाबाद मस्टर प्लान की सीमा 10,15 मील मार्च, 1972 में बढ़ा दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

जी नहीं।

*32--श्री रामधारी शास्त्री--

[7वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*33--श्री कल्याण सिंह--

[13वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कृषि औद्योगिक निगम के तकनीकी कर्मचारियों को ट्रेनिंग हेतु विदेश भेजने की संस्तुति

*34--श्री शिवराज सिंह--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश कृषि औद्योगिक निगम ने केंद्रीय सरकार को कुछ तकनीकी कर्मचारियों को चेकोस्लोवाकिया ट्रेनिंग हेतु भेजने का

संस्तुति की है ? यदि हां, तो उनके नाम, पद तथा शैक्षिक योग्यता और उनके सेवाकाल की शेष अवधि क्या-क्या है ?

डाक्टर सीताराम--

जी हां।

वांछित सूचना निम्न प्रकार है:--

नाम	पद	शैक्षिक योग्यता	सेवाकाल की शेष अवधि
1	2	3	4
श्री बे० के० गर्ग	सर्विस इंजीनियर	बी० एस० सी०, मैकेनिकल इंजीनियरिंग	30 वर्ष
श्री काजीमुहनुद्दीन	फोरमैन	मिडिल स्टैंडर्ड	14 वर्ष
श्री मुशर्रफहुसैन	प्रोडक्शन वर्कर	मिडिल तक पढे हैं परन्तु परीक्षा में अनुत्तीर्ण	18 वर्ष

*35--श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य--

[5वें शुक्रवार में प्रश्न संख्या 48 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*36-37--श्री शिव सम्पत्ति शर्मा--

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]

जिला अस्पताल, देवरिया के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

*38--श्री रामधारी शास्त्री--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्हें जिला अस्पताल, देवरिया के कतिपय कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की कई शिकायतें जुलाई, 1971 से अब तक प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी हां, जुलाई 1971 से 31 मार्च, 1972 तक संयुक्त चिकित्सालय, देवरिया के कतिपय कर्मचारियों के विरुद्ध छः ऐसे शिकायती-पत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें अन्य बातों के अतिरिक्त, कुछ कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाये गये थे। इनमें से दो पत्रों में लगाये गये आरोपों की अस्पष्टता के कारण जांच आवश्यक नहीं समझी गई। शेष चार शिकायती-पत्रों के सम्बन्ध में सिविल सर्जन, देवरिया द्वारा जांच की जा रही है। जांच की रिपोर्ट आने के बाद समुचित कार्रवाई की जायगी।

*39--श्री चन्द्रमोहनसिंह नेगी--

[7 वें मंगलवार के लिए स्थगित]

*40--श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी--

[7वें मंगलवार में प्रश्न संख्या 64 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*41—श्री मुन्शीलाल चमार, श्री डी० पी० बोरा, श्री सुखपाल पाण्डेय, श्री शिवानन्द नौटियाल तथा श्री गोविन्द सिंह नेगी—

[15वें मंगलवार के लिए प्रश्न संख्या 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*42—श्री विजयपाल सिंह—

[7 वें मंगलवार के लिए स्थगित]

*43—डाक्टर भगवत दयाल सिलोइया—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

नैनीताल जिले में भूमि संरक्षण के हेतु बजट में निश्चित किया गया धन एवं भूमि संरक्षण विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारी

*44—श्री डूंगरसिंह विष्ट (जिला नैनीताल)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिले में भूमि संरक्षण के हेतु वर्ष 1971–72 के बजट में कितनी धनराशि निश्चित थी ? उस धनराशि में से 20 मार्च, 1972 तक कुल कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ? उक्त अवधि के भीतर किन-किन विकास खण्डों में किन-किन स्थानों में कितने एकड़ भूमि में भूमि संरक्षण का कार्य किया गया? विभाग द्वारा प्रति एकड़ कितनी धनराशि दी गई ?

डाक्टर सीताराम—

नैनीताल जिले में वर्ष 1971–72 में भूमि संरक्षण कार्य हेतु 4.824 लाख रुपये की धनराशि दी गई थी इसमें 20 मार्च, 1972 तक 3.894 लाख रुपये व्यय हुए।

नैनीताल जिले को तीन भूमि संरक्षण इकाइयों (1—नैनीताल, 2—भीमताल तथा 3—मुक्तेश्वर) के पांच विकास खण्डों के (बेताल घाट, हलद्वानी, रामनगर, भीमताल एवं रामगढ़) गरमपानी, हलद्वानी, रामनगर, ज्वालीकोट, बल्दिपाखान, भीमताल, रामगढ़ एवं सरगाखेत उप इकाइयों के क्षेत्रों में क्रमश: 181, 176, 114, 155, 127,298, 119 एवं 47 एकड़ में भूमि संरक्षण कार्य संपादित किया गया।

औसतन 110 रुपये की धनराशि प्रति एकड़ अनुदान के रूप में दी गई।

*45—श्री डूंगरसिंह विष्ट—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिले के भूमि संरक्षण विभाग में कितने अधिकारी व कर्मचारी गण 1 अप्रैल, 1971 से 20 मार्च, 1972 तक किन-किन पदों पर किस वेतन-मान पर सेवारत हैं ? उक्त अवधि में जिले में भूमि संरक्षण के लिए खोले गए उप-केन्द्रों में किन-किन पदों के कर्मचारी नियुक्त किये गए हैं ?

डाक्टर सीताराम—

नैनीताल के भूमि संरक्षण विभाग में निम्नलिखित कर्मचारी एवं अधिकारीगण 1 अप्रैल, 1971 से 20 मार्च, 1972 तक सेवारत हैं:—

पद	वेतनमान	संख्या
1—भूमि संरक्षण अधिकारी	(300–900)	2
2—प्राविधिक सहायक	(200–450)	3

पद	वेतन-मान	संख्या
3—अधिदर्शक	(175–300)	4
4—भूमि संरक्षण निरीक्षक	(160–280)	9
5—सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक	(120–220)	39
6—सहायक लेखाकार	(120–250)	6
7—ज्येष्ठ लिपिक	(120–220)	2
8—कनिष्ठ लिपिक	(100–180)	9
9—मानचित्रक	(120–220)	3
10—अनुरेखक	(80–140)	5
11—वाहन चालक	(75–115)	1
12—चतुर्थ वर्ग कर्मचारी	(55–75)	20

उपकेन्द्रों में इस अवधि में कर्मचारियों की कोई नियुक्ति नहीं हुई है।

कानपुर जिले के इन्टीग्रेटेड चिकित्सालय, शिवली को पुनः एलोपैथिक चिकित्सालय में परिणत किया जाना

*46—श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे की कानपुर जनपद के एलोपैथिक चिकित्सालय, शिवली में जिसको डाक्टरों के अभाव में इन्टीग्रेटेड चिकित्सालय कर दिया गया था अब डाक्टर उपलब्ध होने के कारण शीघ्र ही उसे पुनः एलोपैथिक चिकित्सालय में परिणत कर एम० बी० बी० एस० चिकित्सक भेजवाने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

शासन इस पर विचार कर रहा है।

*47—श्री रामकुमार दीक्षित—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जनपद के एलोपैथिक चिकित्सालय, शिवली में भवन निर्माण की व्यवस्था निकट भविष्य में शासन द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*48—श्री गया प्रसाद—

[5 वें गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या 102 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*49–50—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

[7 वें मंगलवार के लिए स्थगित]

*51—श्री महीलाल—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

*52—श्री महीलाल—

[7 वें मंगलवार के लिए स्थगित]

*53—श्री नौनिहाल सिंह—

[7 वें मंगलवार के लिए स्थगित]

गोरखपुर जिले में पंचायत सेवकों एवं मंत्रियों का साक्षात्कार

*54—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या पंचायती राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में पंचायत सेवकों या पंचायत मंत्रियों का कोई साक्षात्कार मार्च, 1971 से फरवरी, 1972 के बीच हुआ है ? यदि हां, तो कुल कितने लोग लिये गये हैं तथा इसमें हरिजनों का प्रतिशत क्या है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी हां, प्रतीक्षा सूची बनाने के लिए 21 जनवरी, 1972 को साक्षात्कार किया गया और 39 अभ्यर्थी चुने गये। इनमें 8 हरिजन हैं जो 20 प्रतिशत हैं।

*55—श्री मंजूर अहमद—

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]

*56—श्री मंजूर अहमद—

[7वें मंगलवार में प्रश्न संख्या 42 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

टिहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी जिलों में वन पंचायतों का गठन न किया जाना

*57—श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या पंचायती राज्य मंत्री को यह विदित है कि उत्तर प्रदेश के सब ही पर्वतीय जिलों में सिवा टिहरी-गढ़वाल तथा उत्तर काशी जनपद के वन पंचायतों का गठन किया गया है ? यदि हां, तो क्या पंचायत राज्य मंत्री उन कारणों पर प्रकाश डालेंगे कि टिहरी-गढ़वाल, उत्तरकाशी में वन पंचायतों का संगठन क्यों नहीं हुआ ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी हां, टिहरी-गढ़वाल तथा उत्तरकाशी जिलों में कोई पंचायती वन नियमावली लागू न होने के कारण वहां वन पंचायतों का गठन नहीं हुआ है।

*58—श्री विश्वनाथ कपूर—

[7 वें मंगलवार के लिए स्थगित]

लखनऊ जिले में पावर थ्रेशर क्रय तकावी

*59—श्री रामपाल त्रिवेदी (जिला लखनऊ)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग द्वारा लखनऊ जिले में पावर थ्रेशर क्रय करने हेतु जो तकावी दी जा रही है उसमें कृषकों को इस बात के लिए बाध्य किया जा रहा है कि वह अमुक डीलर के यहां से बाजार भाव से अधिक मूल्य पर घटिया किस्म के थ्रेशर उठावें ? यदि ऐसा है, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं, विभाग द्वारा पावर थ्रेसर उद्योग विभाग के रेट कान्ट्रैक्ट पर मान्यता प्राप्त फर्मों से क्रय करके किसानों को तकावी पर दिये गए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तम कार्य वाले विकास खंड के क्षेत्र विकास अधिकारियों के प्रतिकूल प्रविष्टि

*60—श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री वर्तमान सत्र के दूसरे मंगलवार के प्रश्न संख्या 23 के उत्तर के सिलसिले में बताने की कृपा करेंगे कि उत्तम कार्य वाले विकास खंड के क्षेत्र विकास अधिकारियों को भी प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है ? यदि हां, तो किस अधिकारी के द्वारा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

फैजाबाद मंडल के क्षेत्र विकास अधिकारियों को, जिनके विकास खंड में सहकारिता देयों की वसूली असंतोषजनक थी, वर्ष 1970–71 में मण्डलायुक्त, फैजाबाद द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई ।

*61—श्री मैनेजर सिंह—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद मंडल के क्षेत्र विकास अधिकारियों की सहकारिता की वसूली के सम्बन्ध में प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई ? ऐसे प्रविष्टियों का आधार क्या है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी हां, क्योंकि उनके विकास खण्डों में सहकारिता देयों की वसूली की स्थिति मण्डलायुक्त के अनुसार असंतोषजनक थी। किन्तु पुनः विचार करने के उपरान्त अधिकारियों की प्रसंगत प्रतिकूल प्रविष्टि रद्द किये जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

भूमि संरक्षण अधिकारी, मुरादाबाद के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*62—श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला भूमि संरक्षण अधिकारी, मुरादाबाद के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितता की शिकायतें लिखते हुए प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक 20 अगस्त, 1971 के कृषि मंत्री को सम्बोधित अपने पत्र में उन शिकायतों की जो जांच कराने की मांग की थी क्या उस शिकायती-पत्र में लिखित आरोपों की कोई जांच शासन द्वारा कराई गई ? यदि हां, तो उस जांच की रिपोर्ट क्या है और उपरोक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां ।

शिकायती-पत्र में उल्लिखित आरोपों के विषय में कृषि निदेशालय द्वारा जांच की जा रही है ।

गाजियाबाद सुधार मंडल में लैन्ड पालिसी

*63—श्री नैपाल सिंह (जिला मेरठ)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि गाजियाबाद सुधार मंडल में लैण्ड पालिसी के अन्तर्गत पुनः पट्टे पर भूमि प्राप्त करने वाले भू-स्वामियों को अधिग्रहण की हुई भूमि का कब्जा लेने से तीन महीने बाद तक प्रार्थना-पत्र देने की व्यवस्था सरकार ने बना रखी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिस भू-स्वामी की जमीन पर सुधार मण्डल कब्जा लेता है या जो सरकारी कार्यालय कब्जा देता है उस तिथि का ज्ञान भू-स्वामी को किस सूचना अथवा किस विज्ञप्ति या इसके अतिरिक्त अन्य किस प्रणाली के

द्वारा कराया जाता है जिससे भू-स्वामी 3 माह की निश्चित अवधि के अन्दर लैण्ड पालिसी के अन्तर्गत भूमि प्राप्त करने का प्रार्थना-पत्र सुधार मण्डल, गाजियाबाद में दे सकें ?

श्री धर्मदत्त वैद्य----

गाजियाबाद सुधार मण्डल के लैण्ड पालिसी के अन्तर्गत पुन: पट्टे पर भूमि प्राप्त करने के लिये अधिग्रहण की हुई भूमि का कब्जा लेने की तिथि से तीन महीने के अन्दर भू-स्वामियों द्वारा प्रार्थना-पत्र देने की व्यवस्था है। भूमि पर कब्जा लेने से पहले लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट की धारा 9 (1) की पब्लिक नोटिस दी जाती है। नोटिस की अवधि समाप्त हो जाने के बाद ही कब्जा लिया जाता है।

फैजाबाद जिले में मसौधा धान अनुसंधान केन्द्र के श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश

*64--श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)--

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जिले में स्थित मसौधा धान अनुसंधान केन्द्र के श्रमिकों को साप्ताहिक छुट्टी देना बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

डाक्टर सीताराम--

अनुसंधान केन्द्र के श्रमिकों को कभी भी साप्ताहिक छुट्टी नहीं दी जाती थी। अत: छुट्टी बन्द कर देने का प्रश्न नहीं उठता।

*65-श्री मौहम्मद असरार अहमद तथा श्री शम्भूनाथ चौधरी--

[13 वें मंगलवार में प्र० सं० 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अतारांकित प्रश्न

इलाहाबाद डिवीजन में खुलने वाले अस्पताल

1--श्री रामगोपाल सण्ड--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1971-72 में इलाहाबाद डिवीजन में किन-किन स्थानों पर एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी अस्पताल खोलने की योजना शासन के विचाराधीन है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

वर्ष 1971-72 के अस्पताल खोलने की योजना पर विचार करके निर्णय लिये जा चुके हैं और अब उस वर्ष से सम्बन्धित कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

हाउसिंग बोर्ड की योजनाएं एवं ऋण सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

2--श्री रामगोपाल सण्ड--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने 1971-72 के लिये क्या योजनाएं बनायी हैं ? इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के कितने नगरों में नये मकान बनाये जायेंगे ? सरकार को दिनांक 1 अप्रैल, 1971 से 31 जनवरी, 1972 तक कितने लोगों के प्रार्थना-पत्र ऋण प्राप्त के लिए मिले और कितने दिनों के लिए ऋण दी गई ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

वर्ष 1971-72 के लिए उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् की यह योजना थी कि वर्ष 1970-71 में प्रारंभ किये गए बरेली, देहरादून तथा मेरठ में 344 मकानों को पूरा कर लिया जाय और आगरा, बरेली, देहरादून, गोरखपुर तथा मेरठ में 344 नये मकानों का निर्माण कार्य और प्रारम्भ किया जाय ।

इसके अतिरिक्त 1971-72 में निम्नलिखित आवास एवं विकास योजनाओं पर विकास कार्य प्रारम्भ किया गया है :--

(1) योजना सं० 3 --मेरठ (गढ़मुक्तेश्वर रोड पर)
4 --मेरठ (मोहन पुरी)

(2) योजना सं० 5 --मेरठ (इस्लामाबाद)

(4) योजना सं० 2 --मेरठ (बस स्टैंड की योजना)

(5) योजना सं० 2 --देहरादून (नेहरूनगर)

(6) निरंजनपुर टी स्टेट गृहस्थान योजना देहरादून

(7) इज्जत नगर योजना सं० 1 बरेली

(8) वेतिया हाता (कोर्ट आफ वार्ड्स) योजना, गोरखपुर

(9) सूरजकुण्ड योजना, गोरखपुर

जिन नगरों में उत्तर प्रदेश आवास एसं विकास परिषद् अधिनियम 1965, लागू है उन क्षेत्रों से अल्प आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए क्रमश: 171 व 71 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जिनमें से क्रमश: 88 व 32 प्रार्थना-पत्र ऋण देने के लिए स्वीकृत किये गये । अल्प तथा मध्यम आय वर्ग के लिए ऋणियों को ऋण की प्रथम किश्त प्राप्ति की तिथि से क्रमश: 30 वर्ष तथा 23 1/2 वर्ष के ऋण की अदायगी करनी है ।

3--श्री रामगोपाल सण्ड--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

4--श्री अब्दुल सलाम शाह--

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]

बस्ती जिले के विकास क्षेत्र, बांसी में सरसों की फसल पर माहू कीट की रोकथाम

5--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के विकास क्षेत्र बांसी के अन्तर्गत सरसों की फसल पर लगे हुए माहू को समाप्त करने के लिए किन-किन गांव में दवा का छिड़काव सरकारी कर्मचारियों द्वारा कराया गया और उससे कितना धन सरकार को दवा के कीमत के रूप में प्राप्त हुआ ?

डाक्टर सीताराम--

बस्ती जिले में विकास क्षेत्र बांसी के अन्तर्गत, सरसों की फसल पर मांहू कीट की रोक थाम के लिए निम्नलिखित 12 ग्रामों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा कीट नाशक दवा का छिड़काव कराया गया, और सरकार को कुल रुपया 1,323 और 22 पैसे का राजस्व प्राप्त हुआ :---

1. नरही, 2. नरकटहा,
3. पचहरी, 4. अशोगवा,
5. प्रतापपुर, 6. तलपुरवा,
7. भवारी, 8. बनकटिया,
9. बरगदी, 10. बैरवा,
11. टडिया बाजार तथा
12. सोनबलियां ।

रामपुर तथा नैनीताल जिले में आवास विकास परिषद् द्वारा गृह निर्माण

6--श्री राजेन्द्रकुमार शर्मा (जिला रामपुर)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिले के रुद्रपुर, बाजपुर एवं किच्छा नगरों में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् की ओर के गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत कार्य शुरू किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

जी नहीं ।

आवास परिषद् द्वारा नैनीताल जिले के रुद्रपुर, बाजपुर एवं किच्छा नगरों में गृह निर्माण योजनाएं कार्यान्वित करने हेतु भूमि प्राप्त करने के लिए प्रारम्भिक सर्वेक्षण किये जा रहे हैं । चूंकि भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही के पश्चात् भूमि उपलब्ध होने में समय लगता है अतः वास्तविक निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का निश्चित समय अभी नहीं बताया जा सकता ।

7--श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा रामपुर नगर में गृह निर्माण योजना प्रारम्भ की जाने वाली है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

आवास परिषद् ने रामपुर में गृह निर्माण योजना के लिए एक भूमि का चयन कर लिया है । परिषद् द्वारा शीघ्र ही इस पर योजना प्रस्तावित की जायेगी । चूंकि भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही के पश्चात् भूमि उपलब्ध होने में समय लगता है अतः कार्य प्रारम्भ होन का निश्चित समय अभी नहीं बताया जा सकता ।

8--श्री इन्द्रलाल--

[7 वें मंगलवार के लिए स्थगित]

9--श्री राम लाल भाई तथा श्री मैनेजर सिंह--

[7 वें मंगलवार के लिए स्थगित]

10--श्री गोविन्द सिंह नेगी--

[4 थे गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्नों का समय खत्म हो गया। अब मुख्य मंत्री जी शोक प्रस्ताव पर बोलेंगे।

विधान सभा सदस्या, श्रीमती सौभाग्यवती तथा भूतपूर्व सदस्य, श्री जगन्नाथ दास के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, एक अत्यन्त दुखद समाचार और एक हृदय विदारक घटना का उल्लेख करने के लिए दुर्भाग्य से हमें आपके सम्मुख खड़ा होना पड़ा है। हमारे विधान सभा की सदस्या, श्रीमती सौभाग्यवती, जो अपने पति के साथ बर्दवान गई हुई थीं, जहां उनका कोल्ड स्टोरेज था और जिसकी सूचना समाचार-पत्रों में भी निकली कि गैस लाइन के फट जाने से रात को 4 बजे सारा कोल्ड स्टोरेज एकाएक बैठ गया। उनकी और उनके पति की मृत्यु का समाचार अभी-अभी मुझे प्राप्त हुआ है।

मान्यवर, अभी जब असेम्बली बन्द हो रही थी तीन-चार दिन के लिए, उसके पहले ही वह यहां मौजूद थीं और किसी काम के लिए कृपा करके उन्होंने मुझ से भी भेंट की थी और उस वक्त उन्होंने यह भी कहा था कि चार दिनों के लिए छुट्टी हो रही है और वह घर जायेंगी और सम्भवतः कुछ काम से उन्हें बर्दवान भी जाना पड़ेगा। तब मान्यवर, यह कल्पना नहीं थी कि वह बर्दवान जा रही हैं, जाने की सूचना दे रही हैं जिसका मतलब यह होगा कि वहां से फिर लौटकर हमारे प्रदेश में नहीं आयेंगी।

परसों की बात है जब मैं दिल्ली में था, तो मुझे वहां के सिंघल साहब, जो दिल्ली की एक फर्म में काम करते हैं, उन्होंने मुझे टेलीफोन करके पहले-पहल यह सूचना दी थी। उन्होंने टेलीफोन पर कहा कि वह बर्दवान में रसूलपुर नामक स्थान पर जहां उनका कोल्ड स्टोरेज है उसके गिर जाने की और उसके नीचे उनके दब जाने की सूचना मिली है। पर यह सूचना पक्की नहीं इसका भी पता नहीं है। वहां रेस्क्यू का काम शुरू हुआ है या नहीं तो आप कृपा करा इसका पता लगावें। जिन सज्जन ने टेलीफोन पर सूचना दी, उनसे पूछा तो उन्होंने अपने को उनका कजिन बतलाया। उसी समय मैंने कलकत्ता में वहां के मुख्य मंत्री से फोन मिलवाया परन्तु सूचना मिली कि वह दिल्ली में ही हैं। फिर दिल्ली में उनसे फोन मिलवाया। वह सौभाग्य से मुझे मिल गये और मैंने इस घटना का उल्लेख उनसे किया और यह कहा कि आप तत्काल आदेश भेजें। मुझे सूचना मिली है कि आज रात 4 और 5 बजे के बीच कोल्ड स्टोरेज गिर जाने से वह दब गईं और 3 बजे मुझे सूचना मिली कि रेस्क्यू का काम नहीं शुरू हुआ है। तो आप कृपा कर इसको देखें और उनका पता भी लगावें।

इसी के साथ-साथ मैंने वहां से लखनऊ में मुख्य सचिव से भी बात की। मैंने उनको बतलाया कि वहां के मुख्य मंत्री से बात हो गई है लेकिन आप मुख्य सचिव से बात करके यह सूचना दें कि तत्काल वहां रेस्क्यू का काम किया जाय और सौभाग्यवती की स्थिति क्या है, कहां हैं, इसका पता लगाकर तत्काल बतलावें। यहां से बातचीत हुई। वहां के चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि इसकी सूचना मिल गई है कि ऐसा कोल्ड स्टोरेज गिरा है। बहुत भारी कोल्ड स्टोरेज था। करीब 9 लाख मन आलू उसमें रखा जा सकता था। एकाएक गैस की रह के विस्फोट से चार बजे रात्रि को ऐसी घटना हुई और वहां पुलिस आदि की यदि जरूरत होगी तो वहां भेज दी जायेगी और रेस्क्यू का काम हो रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

परसों केवल इस बात की सूचना मिली कि खुदाई हो रही है। कल 12 लाशें निकली हैं किन्तु बताया गया कि उसमें किसी महिला की लाश नहीं है। रात्रि हो जाने की वजह से वह काम बन्द कर देना पड़ा और कल फिर शुरू हुआ। कल कई बार टेलीफोन कराया। इस प्रकार तीन-चार टेलीफोन करने के पश्चात् जो सूचना मिली वह यही मिली कि और लाशें तो निकली हैं लेकिन किसी महिला की कोई लाश नहीं है। लेकिन काम जारी है और खोदाई चल रही है। आज अभी जब यहां सदन में बैठा हुआ था तो मैंने गृह सचिव, मुख्य सचिव और आई० जी० पुलिस से कह रखा था। आई0 जी0 ने यह सूचना भेजी है कि उनका शव मिला है और उनके पति का शव भी मिला है और वह पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। अभी यहीं बैठे-बैठे यह सूचना मिली है।

मान्यवर, सौभग्यवती जी अमरोहा की रहने वालीं थीं। सार्वजनिक कार्यों में सदा उनकी रुचि रही है। सम्भवतः 1969 में हमारे प्रदेश की विधान सभा की सदस्या चुनी गयीं। तब से बराबर वे यहां सदस्या रहीं हैं और विधान सभा तथा सार्वजनिक कार्यों मे सदा हिस्सा लेती रहीं हैं। जैसा कि मैंने निवेदन किया, उनका परिवार बड़ा प्रतिष्ठित और संभ्रान्त है। उनके एक पुत्र अमरीका में एक यूनिवर्सिटी मे फिजिक्स डिपार्टमेंट मे काम करते हैं। यह सूचना जब मुझे कल मिली तो कल ही मैंने वहां तार भेजा कि ऐसी दुर्घटना हुई है। उनकी मृत्यु का समाचार तब नहीं आया था पर बड़ी खतरनाक घटना हुई है। किसी को नही मालूम कि क्या हो। उनके और परिवार के लोग यहां मुजफ्फरनगर और अमरोहा में थे। उनको भी सूचना दी गयी है। वे लोग सम्भवतः कल शाम तक वहां पंहुच भी रहे होंगे या पंहुच गये होंगें।

यह एक ऐसी दुर्घटना है जो बड़ी हृदय विदारक है। इससे एक बड़ी गहरी चोट लगती है हृदय को। सहसा एक बज्रपात हो गया। सोये हुये व्यक्ति के ऊपर, जो कभी इस ख्याल से वहां जाय कि कल अपना काम देखेंगे, और वह रात्रि मे सोया हुआ हो और अचानक प्रातःकाल काल का पहाड़ उसके ऊपर टूट पड़े, भहरा पड़े, यह एक ऐसी घटना है मान्यवर, कि इससे हृदय पर बड़ा विषाद छा जाता है। मृत्यु सभी की होती है। कोई आता है, कोई जाता है। किन्तु इस प्रकार की दुर्घटना से एक बड़ी ठेस हृदय को लगती है। उनके बेटे-बेटी, जो इस समय अपने माता-पिता दोनों से सदा के लिये वंचित हो गये हैं, के प्रति जितनी समवेदना प्रकट की जाय, मान्यवर, शब्द नहीं मिल सकते अपनी सहानुभूति प्रकट करने के लिये हम प्रार्थना ही कर सकते हैं कि भगवान उन्हें शक्ति दे कि वे इस दुःख को सहन कर सकें और उनके कुशल-क्षेम की चिन्ता स्वयं भगवान करे।

हम समझते हैं कि इस सदन का और इस सदन के बाहर का कोई भी व्यक्ति जो इस घटना को सुनेगा और इसकी जानकारी उसको मिलेगी वह दुखी हुये बिना नहीं रह सकता। हमारी प्रार्थना यह है कि हमारी अत्यन्त हार्दिक और वेदना से पूर्ण—यह औपचारिक बात हो जाती है पर जीवन में औपचारिकता भी काम देती है—हमारी समवेदना और सहानुभूति उनके उस परिवार के प्रति पंहुचा दें जो अब तक अवशिष्ट हैं। इससे अधिक, मान्यवर, इस दुखद स्थिति पर और कुछ कहना कदाचित् न मेरे लिये सम्भव है न और किसी के लिये सम्भव होगा। जो चले गये भगवान उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे और जो बच गये हैं उन्हें इस गहरे दुःख और बड़ी भारी विपत्ति को सहन करने की क्षमता प्रदान करे यही हम लोगों की भगवान से प्रार्थना होगी।

मान्यवर, इसी अवसर पर एक और अपने साथी के निधन का उल्लेख कर देना चाहता हूं, हमारे सहारनपुर के महन्त जगन्नाथदास जी। हम सब उनसे पूरी तरह से परिचित हैं। वह सन् 1946 से 1952 तक विधान सभा के सदस्य रहे। उस समय तक संविधान के अनुसार विधान सभा नहीं बनी थी। स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने हिस्सा लिया और

कर्मठ कार्यकर्त्ता थे । अभी 18 मार्च को उनका निधन हुआ है । उनके प्रति हमारे इस सदन की समवेदना उनके परिवार के पास पंहुचा दें । वे अच्छे कार्यकर्त्ता रहे हैं । ऐसे कार्यकर्त्ताओं का उठ जाना सार्वजनिक जीवन को क्षति पंहुचाता है। कार्यकर्त्ता वर्षों-वर्षों की साधना और सेवा के बल पर बनते हैं । रोज-रोज उत्थान और उस प्रतिष्ठा को प्राप्त करना किसी के लिये सम्भव नहीं होता है । ऐसे लोगों के उठ जाने से सार्वजनिक जीवन को क्षति पंहुचती है । पर इसमें कोई अपना वश नहीं है सिवाय इसके कि हम अपना दुःख प्रकट करें और उनकी आत्मा की शान्ति के लिये और उनके दुखी परिवार के चित्त को कुछ आश्वस्त करने के लिये भगवान से प्रार्थना करें । मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि हमारी इन भावनाओं को उन परिवारों के पास तक पंहुचा दें और हम सब भगवान से यह प्रार्थना करें कि इन लोगों को शान्ति प्रदान करें ।

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो भावनायें माननीय नेता सदन ने इस सदन की सदस्या श्रीमती सौभाग्यवती जी के निधन पर व्यक्त की हैं मैं और मेरा दल अपने को उससे सम्बद्ध करता है । श्रीमन्, आप जानते हैं कि श्रीमती सौभाग्यवती जी इस सदन की सदस्या 1969 के निर्वाचन में निर्वाचित हुई और तब से इतने अल्प काल में ही इस सदन के अधिकांश सदस्यों से जिस प्रकार का अपना निकट का सम्पर्क बना लिया था एक महिला होते हुये भी यह उनके गुणों का एक जीता-जागता सबूत है । जब कल मुझे यह सूचना प्राप्त हुई तो मन को बड़ा कष्ट हुआ और जो यह हृदय विदारक घटना घटी उससे जो मन को कष्ट पंहुचा है उसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल हो गया है । आज श्रीमती सौभाग्यवती जी हमारे बीच से चली गयीं । मान्यवर, उनकी अवस्था भी अभी बहुत कम ही थी । इस अवस्था में उनके चले जाने से उनके परिवार की जो कष्टमय स्थिति होगी, जो उनको कष्ट होगा उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । उसका मूल्यांकन करना कोई सहज काम नही है । बड़े ही दुख के साथ हम यह निवेदन करेंगे कि हमारी भावनाओं को तथा जो भावनायें माननीय नेता सदन ने व्यक्त की हैं,उनको इस सदन की भावना समझकर आप उनके संतप्त और शोकाकुल परिवार तक पंहुचाने की कृपा करें ।

माननीय नेता सदन ने जिन दूसरे भूतपूर्व माननीय सदस्य श्री जगन्नाथ जी के निधन का उल्लेख किया तथा जो भावनायें व्यक्त की हैं मैं तथा मेरा दल भी अपने को उससे सम्बद्ध करता है । मुझे सूचना मिली है कि वे निर्विरोध इस विधान सभा के लिये चुन कर आये थे । उनका निर्विरोध यहां चुनकर आना ही यह प्रकट करता है कि वे कितने लोकप्रिय थे । मुझे यह भी जानकारी है कि महन्त जी बचपन ही में सन्यासी हो गये थे और उनके माता-पिता ने उनको किसी गद्दी पर बिठा दिया था । उसके बाद आजादी के अन्दोलन में तथा सार्वजनिक जीवन में भी उन्होंने बहुत से कार्य किये । भूदान आन्दोलन में भी आचार्य भावे का उन्होंने साथ दिया । वे केवल सहारनपुर के लिये ही नहीं वरन् पूरे प्रदेश की जनता के लिये प्रेरणा के एक स्त्रोत थे । मैं आपसे विवेदन करूंगा कि आप हमारी भावनाओं को उनके शोक संतप्त परिवार तक पंहुचाने की कृपा करें ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय श्रीमती सौभाग्यवती जी तथा महन्त जगन्नाथ जी के निधन के संबंध में जो विचार माननीय नेता सदन तथा माननीय नेता विरोधी दल नें व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । श्रीमती सौभाग्यवती जी बड़ी ही मधुर-भाषिणी थीं । सन् 69 में यहां चुन कर आयीं और सदस्या की हैसियत से काम करने का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[श्री जय राम वर्मा]

बहुत अधिक समय उनको न मिल सका । जिस प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त होकर उनकी अकाल मृत्यु हुई है उससे हम सभी लोग बहुत दुखी हैं । हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे दल की समवेदना उनके संतप्त परिवार के पास भेज दीजिए ।

स्वर्गीय महन्त जगन्नाथ दास इस सदन के सदस्य रह चुके हैं । इस सदन में मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला । वह केवल एक सन्यासी ही नहीं थे बल्कि इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने भाग लिया था । वह बहुत ही सज्जन पुरुष थे और बहुत अच्छे कार्यकर्त्ता थे । उनसे बहुत अच्छी सेवा सहारनपुर जिले के लोगों को मिल रही थी । उनके उठ जाने से इस प्रदेश के सार्वजनिक जीवन को बहुत क्षति पहुंची है । महन्त जगन्नाथ दास जी ऐसे व्यक्ति के उठ जाने से जो क्षति इस प्रदेश को हुई है, उसकी पूर्ति करना कठिन हो रहा है । हम उनके आज संसार में न रहने से सभी बहुत दुखी हैं । मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शान्ति मिले और आपसे हमारी प्रार्थना है कि हमारे दल की समवेदना उनके संतप्त परिवार के पास भेज दीजिये ।

*श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के लिये यह पहला अवसर है जब मैं समझता हूं ऐसी दुर्घटना हुई । इससे पूर्व भी हमारे कई माननीय सदस्यों की असमय मृत्यु हुई है, किन्तु इनकी अपने स्थान से इतनी दूर इन परिस्थितियों में जैसी मृत्यु हुई है वह बहुत ही करुण और दुःखद घटना हुई है । अभी 12 तारीख को उनकी हमसे मुलाकात हुई थी । 12 तारीख को ही उनको उनकी मौत यहां से वहां ले गई । "आप न आवे ताहि पर, ताहि तहां ले जाए" की बात उनके बारे में चरितार्थ होती है । स्वर्गीय सौभाग्यवती जी ने इस सदन की गरिमा के अनुकूल हमेशा सदन की कार्यवाही में भाग लिया और बड़े अच्छे ओजस्वी भाषण भी कई अवसरों पर दिये । वह बड़ी सुशील, सौम्य और सुशिक्षित महिला थीं । जैसी नेता सदन ने अपनी भावनायें व्यक्त की, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करते हुए, मान्यवर, मेरा निवेदन है कि हमारी समवेदना उनके संतप्त परिवार तक पहुंचा दे और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सौभाग्यवती जी की आत्मा को शांति मिले ।

दूसरे सदस्य श्री महन्त जगन्नाथ दास जी जो इस सदन के सदस्य रह चुके हैं और जिनके विषय में नेता सदन ने बताया वह बड़े त्यागी और कर्मठ कार्यकर्ता थे और समाज में एक प्रेरणा के स्रोत थे । उनके लिये भी नम्र निवेदन है कि उनके परिवार को हमारी समवेदना पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

उपाध्यक्ष महोदय, सौभाग्यवती जी के दुःखद निधन पर बहुत ही इस पूरे सदन को गहरा दुख है । यकीन करने का जी नहीं चाहता कि वह हमारे बीच में नहीं हैं । लेकिन मान्यवर, यह तो वास्तविकता बन गई है, मानना ही पड़ेगा कि वह अब नहीं रहीं । जहां तक मैं समझता हूं वह दिल्ली विश्वविद्यालय की स्नातक थीं और संभवतया प्रथम श्रेणी में ही उन्होंने एम० ए० की उपाधि हासिल की थी । उस विश्वविद्यालय की पढ़ाई-लिखाई जो उत्तम से उत्तम हो सकती है वह उनके पास थी ।

जहां तक सम्भ्रान्त परिवार के संबंध होने का ताल्लुक है, उसमें भी कसी तरह की कमी नहीं थी । लेकिन उसके साथ-साथ वह अपने स्वभाव से इतनी मृदुल और इतनी कृपालु थीं कि चाहे जितना छोटा ही कोई मित्र या कार्यकर्त्ता हो लेकिन उनके पास कभी यह नहीं लगा होगा कि किसी तरह का भेद भाव है । उनका आतिथ्य सत्कार, उनका मिलने का ढंग, ये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सब ऐसी चीजें थीं जिनकी वजह से सदन के बहुत से लोग व्यक्तिगत रूप से उनके व्यक्तित्व की तरफ आकर्षित हुए उनके साथ और मित्र बने। जहां पर उनका स्वभाव इतना मृदुल और कृपालु था वहां पर दृढ़ता भी उनमें गजब की थी। इस सदन की एक घटना है जब मेरे निलम्बन का प्रस्ताव आया था मान्यवर, तो उन्होंने उस पर मत नहीं किया पक्ष या विपक्ष में और जिस तरह के दबाव पड़े थे, उससे उसी वक्त मालूम हो गया था कितने दृढ़ प्रकृति की वह महिला हैं। उसके पहले कोई खास परिचय हम लोगों का नहीं था और उस एक घटना के बाद फिर धीरे धीरे मिलना जुलना, बोलना बतलाना उठना-बैठना और ऐसे भी इत्तिफाक आये कि एक साथ घंटों बैठना खाना खाना, ये सारी चीजें हुईं और उन सब की जो याद है, मान्यवर ऐसा लगता है कि कम ऐसे लोग होते हैं जब अपने मरने के बाद अपनी याद को इस तरह से छोड़ जाते हैं कि बहुत-बहुत दिनों तक लोग उनको याद करते रहें।

इसके साथ-साथ बोली और कर्म में भेद अगर कहीं हो, तो उनको बुरा लगता था। यह भी एक किस्सा और मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। कभी-कभी जब इस सदन की कार्यवाही में मैंने हिस्सा लिया, तो ज्यादातर एक दूसरे से परिचित नहीं होते हैं, मान्यवर, कभी-कभी कोई व्यक्ति मजाक में शायद या एक द्वेष में भी एक दूसरे के ऊपर मिथ्यारोपण कर दिया करते हैं। तो किसी ने उनसे यह कहा कि भाई आप तो तारीफ करती हैं, यह बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन यहां यह नशे की हालत में बोला करते हैं। तो कहने लगीं, एक जिज्ञासा होती थी यह जानने की कि क्या आदमी की बोली और कर्म में इतना अन्तर होता है कि बोलता कुछ है और कर्म में उसके विपरीत। जो आदमी पूरी तरह से अन्दर और बाहर से पवित्र होता है उसी के मन में इस तरह की जिज्ञासा हो सकती है, मान्यवर।

धीरे-धीरे सारी चीजें ज्यों-ज्यों सम्पर्क बढ़ा, ज्यों-ज्यों चीजें मालूम होती गयीं, एक दूसरे के बारे में जानते गये। तो विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि इतने सारे गुणों के मालिक बहुत कम लोग हुआ करते हैं, खासकर जब गुणों का ह्रास हो रहा है, उनके निधन पर स्वाभाविक है कि पूरा सदन दुख प्रकट करे। उनका परिवार भी शायद बड़ा नहीं है। पति पत्नी दोनों का देहान्त हो गया और अपने धर्म के अनुसार दुख होते हुए भी यह घटना जैसे मालूम होता है उनके नाम को ही चरितार्थ करती है, सचमुच वह सौभाग्यवती थीं कि पति के साथ ही उनका अन्त हुआ। उनकी दो छोटी लड़कियां यहीं रह रही हैं। एक लड़का अमेरिका में है। उसको भी सूचना हो गयी है और दोपहर तक या शाम तक वह आज कलकत्ता पहुंच जायगा। वे भी बहुत दुखी होंगे। मैं आपके माध्यम से अपने दल और अपनी तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि उनके दुख में हम सब लोग बहुत दुखी हैं और उसमें हम सब शरीक हैं। आपसे मैं यह भी निवेदन करता हूं कि आप हमारे दुख और समवेदना को संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

महन्त जगन्नाथ दास जी के निधन से भी मुझे तथा मेरे दल को बहुत दुख है। उनके संतप्त परिवार तक भी हमारी समवेदना को भेजने का कष्ट करें।

*श्री गोविन्दसिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती सौभाग्यवती और अन्य दिवंगत आत्माओं के बारे में जो भावनायें नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने व्यक्त की है, मैं और मेरा दल उससे अपने को सम्बद्ध करता है। श्रीमती सौभाग्यवती की इतनी अल्पायु में तथा जिस दर्दनाक परिस्थितियों में मृत्यु हुई है वह बहुत हृदय विदारक है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप मेरी और मेरे दल की भावनाओं को दिवंगत आत्माओं के संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय नेता सदन और नेता विरोधी दल और अन्य दलों के नेताओं ने जो भावनायें व्यक्त की हैं मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। जब माननीया सौभाग्यती की मृत्यु का समाचार अखबार में मैंने देखा तो मुझे पहले विश्वास नहीं हुआ। बर्दवान स्थान तथा उत्तर प्रदेश के विधायक का निधन, बात समझ में नहीं आयी। किन्तु जब नाम देखा तो यह हृदय विदारक सूचना मिली। शायद बाराबंकी के भगवती प्रसाद शुक्ल के बाद यह दूसरी दुर्घटना है कि जो माननीय सदस्य कल तक हमारे साथ थे वह आज हमसे बिछुड़ गये। इस घटना से हम सभी शोक संतप्त हैं। जिनको माननीया सौभाग्यवती के गुणों को यहां थोड़ी अवधि में देखने का अवसर प्राप्त हुआ होगा उनको इस घटना से बहुत बड़ा धक्का लगा होगा और जो भावनायें आपने व्यक्त की हैं ये भावनायें उसी प्रकार की हैं जिस प्रकार एक परिवार के सदस्य के बिछुड़ जाने पर परिवार के अन्य सदस्यों की हुआ करती है। यह एक ऐसी बड़ी दुर्घटना है एक ऐसी अपूर्णीय क्षति है जिसका हम कभी आकलन नहीं कर सकते। उनके शोक संतप्त परिवार को ईश्वर धैर्य दे और दिवंगत आत्मा को शाश्वत शांति मिले यह हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सौभाग्यवती के सौभाग्य का जहां तक सम्बन्ध है जो पारलौकिक विचारधारा के मानने वाले लोग हैं वे इस दुख में भी एक अच्छाई यह देखते हैं कि माननीया सौभाग्यती अपने पति की जीवन संगिनी बनीं और उन्होंने मृत्यु में भी उनका साथ दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मृत्यु उन्हें वहां खींच कर ले गई। जो भावनायें आपने यहां पर व्यक्त की हैं, मैं उनको शोक संतप्त परिवार के पास पहुंचा दूंगा।

माननीय महन्त जगन्नाथ दास जी को तो व्यक्तिगत ढंग से जानने का मुझे सुअवसर प्राप्त नहीं हुआ है किन्तु जैसा कि माननीय नेताओं ने उनकी सामाजिक और सार्वजनिक जीवन की झांकी दी और इशारा किया और कहा कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया था और एक सन्यासी जीवन का पालन करते हुये देश की सेवा का व्रत लिया था। तो वे निश्चित ही एक बहुत बड़े आदमी थे। उनके निधन से सारे प्रदेश को क्षति पहुंची है। मैं उनके प्रति आपकी आत्मा की भावनाएं, जो समवेदनाएं हैं, उनको उनके परिवार तक पहुंचाने के दुखद कर्त्तव्य का निर्वहन करूंगा। अब मैं माननीय सदस्यों से 2 मिनट के लिये खड़े होकर मौन रहने का आग्रह करूंगा।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए।)

श्री हरिनाथ तिवारी—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज सभी माननीय सदस्य दुखी हैं और घटना भी ऐसी हुई जिससे लोगों को बहुत ही दुख है। अभी माननीय गुप्तार सिंह के मृत्यु पर सदन एक दिन के लिये स्थगित कर दिया गया था। इसलिये प्रार्थना है कि यदि आज सदन स्थगित किया जाय तो अच्छा है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, ऐसा प्रिसीडेन्स भी यहां पर आप कायम कर चुके हैं कि यदि कोई माननीय सदस्य वर्तमान सदन में रहते हुए हमसे बिछुड़ जाता है तो उस दिन के लिये कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, पंडित जी ने मुझे बड़ी कठिनाई में डाल दिया। विषय ऐसा है जिस पर कोई वाद-विवाद करके अपने एक अनौचित्य का परिचय देने के लिये मैं तैयार नहीं हो सकता। अवश्य स्थगित करें। निवेदन सिर्फ यह है कि आज का जो कार्य रहा है चूंकि यह बजट से सम्बन्ध रखता है, उसमें कोई विशेष व्यवधान न पड़े इसलिये इस विषय पर भी आप अपने विचार दे दें और उसके बाद हम लोग उठ जायं।

श्री हरिनाथ तिवारी—

कार्य-मंत्रणा समिति में इसका निश्चय आप कर लें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि ऐसे जो प्रश्न हैं उनमें नेता सदन और प्रतिपक्ष के नेता मिल कर पहले इस बात को तय कर लिया करें तो अच्छा होगा किन्तु यह जो बजट आज का है उसमें बहस नहीं होगी। किसी और दिन इसको रख लिया जायगा और इसे गिलोटिन करना पड़ेगा। तो क्या इसके लिये सदन तैयार है?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं आपसे निवेदन करता हूं और आपके माध्यम से नेता सदन से कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब विभिन्न दलों के लोग कार्य-मंत्रणा समिति में बैठेंगे तो जिस तरह से बैषाखी की छुट्टियां के लिये ऐडजस्टमेंट कर लिया है तो इसमें भी हो जायगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री हरिनाथ तिवारी—

बाधा नहीं पड़ने दी जायगी।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मेरा मतलब तो इतना ही है कि प्रोग्राम ऐडजस्ट हो जाना चाहिए। आज शाम को या कल शाम को बैठ जायं इस प्रोग्राम के लिये। कल बुला लें?

श्री हरिनाथ तिवारी—

इसको कहीं न कहीं ऐडजस्ट कर लेंगे। ऐडजस्ट हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

तो अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 12 बजकर 41 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
18 अप्रैल, 1972।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 784 पर)

तालिका

जिला पौड़ी की क्षेत्र समिति पावों, पौड़ी तथा बीरोखाल द्वारा वर्ष 1970 से 1 मार्च, 1972 तक जिला परिषद् पौड़ी को भेजी गयी पेयजल योजनाओं की सूची

क्षेत्र समिति का नाम	पेयजल का नाम	क्षेत्र समिति द्वारा जिला परिषद् को पेयजल योजना भेजने की तिथि	मन्तव्य
1	2	3	4
1—पावों ..	..	..	कोई योजना जिला परिषद् को नहीं भेजी गयी।
2—पौड़ी ..	1—परसुण्डा खाल 2—भीमली 3—त्वाजी 4—बरसूडी 5—मासो (नान वलस्यूं) 6—चलमाखाल 7—काण्डई तल्ली 8—कण्डारा 9—पीपल कोटी 10—सुमेरपुर।	23-10-70	
3—बीरोखाल ..	1—कोठिला .. 2—रगलच्छा 3—बमणखोला 4—रगडीगाड 5—नाकरी .. 6—काडा तल्ला 7—बामसा तल्ला 8—ढोढ़ 9—विरगण 10—भाकण्ड।	30-8-70	

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 56 एल० ए०—1973—845।